राजस्थान विधान सभा

४१ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक—२० जुलाई, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर ३ मिनट
(मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ११२३

सन् १९५३-५४ में सस्पेन्डेड व्यक्तियों को बहाल करने सम्बन्धी

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५३-५४ में कितने सस्पेन्डेड राज्य कर्मचारी बहाल किए गये और उनको सस्पेन्शन पीरियड के कितने रुपये तनख्वाह के दिये गये ?

(ख) किशनगढ सब डिविजन के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको १९५३-५४ के वर्ष में सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह दी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) १. सात गजेटेड ऑफिसर्स ।

२. दो व्यक्तियों को पूरा वेतन दिया गया।

दो को ३।४ वेतन दिया गया ।

दो को सबसिस्टेन्स अलाउन्स दिया गया ।

और एक को वेतन, स्पेशल पे व एलाउन्स में १५ प्रतिशत कमी के बाद वेतन दिया गया ।

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनको एक साल से ज्यादा स्पेशल पे (विशेष वेतन) दी गई ?

श्री जयनारायण व्यास--इसके लिए अलग से प्रश्न पूछा जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इस प्रकार का डिस्क्रिमीनेटरी ट्रीटमेंट (पक्षपातपूर्ण व्यवहार) का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास--उनके अलग अलग तरह के कुसूर समझे गये।

प्रश्न संख्या ११२४

सिरोही की मुसम्मात सईद निस्सा का दिल्ली की सम्पत्ति हेतु प्रन्यासियों की नियुक्ति

श्री मोहब्बतसिंह--Will the Chief Minister be pleased to state :—

(1) Is it a fact that the Government is contemplating to nominate Trustees for the Delhi Property of Musammat Syeed u-nissa of Sirohi ?

(2) Will the Government nominate such persons as trustees whose integrity is beyond doubt ?

(3) Is the Government aware that in the time of the then Sirohi State in the year 1948-49 when the cases against Musammot Sayeed-u-nissa were going on in Delhi by Sirohi State, the masses of the then Sirohi State in general very much doubted the integrity of the those who were conducting the cases on behalf of the State ?

Are those persons going to be nominated as trustees again ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)-(1) No.

(2) Does not arise.

(3) We have not heard of this before.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि जो किराया आवेगा वह विद्यार्थियों को टेक्नीकल शिक्षा के लिए दिया जावेगा ?

Page No.3

श्री जयनारायण व्यास–जिस तरह से यह प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर 'नहीं' में है।

प्रश्न सं० ११२५

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न सं० ११२६

बीकानेर पुलिस थाने 'डी' में सेवा किये हुए नायक (हरिजन) को वेतन न मिलना

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि एक नायक (हरिजन) ने बीकानेर पुलिस डी थाने में ५ माह तक नौकरी की और उसे करीब साल भर हो गया, तनख्वाह नहीं मिली ?

(ख) क्या यह सही है कि ५ माह के बाद में थानेदार ने कह दिया कि क्यों खराब होते हो, नौकरी नहीं मिलेगी ?

(ग) क्या यह सही है कि उसने करीब ५० मुर्दे इस टाइम में उठाये थे जिसके गवाह दिलाने को तैयार है ?

(घ) क्या यह सही है कि उसने करीब १० दरख्वास्तें एस.पी. व डी.आई. जी के दफ्तर में भी दी लेकिन कोई जवाब तक नहीं आया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं, उसने करीब १५, २० मुर्दे उठाये थे, जिनके चार आना प्रति मुर्दे के हिसाब से उसको पैसे दे दिये गये थे।

(घ) कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रार्थी से न तो डी. आई. जी पी. ऑफिस बीकानेर में आया और न एस. पी. ओफिस में आया।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इस प्रकार की जाँच करने की कोशिश करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रश्न पर तो जाँच हो नहीं सकती; अगर डेफिनिट शिकायत होगी तो अवश्यक जाँच की जावेगी।

श्री प्रभुदयाल—इस सम्बन्ध में कई दफा दरख्वास्तें दी गई हैं, क्या सरकार को मालूम है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं कह सकता हूँ कि नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उसको मुर्दे उठाने के लिए ही नौकर रखा गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—पशुओं के मुर्दे।

प्रश्न संख्या ११२७

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण डीगत।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

प्रश्न संख्या ११२८

नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

प्रश्न संख्या ११२९

नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११३०

नेक्स्ट, श्री शिवदानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११३१

राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी नामक जिला कमेटियों की स्थापना।

श्री खेतसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.5

[श्री खेतसिंह]

(क) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी नामक जिला कमेटियाँ मुकर्रर की जावेंगी जो अपने-अपने जिले में ट्रान्सपोर्ट के मुताल्लिक सुझाव पेश करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

(ख) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविजन की ओर से आर. टी. ए. की मीटिंग में जनता की ओर से कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नामजद नहीं किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मन्त्री)—जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि पहले सरकार का यह खयाल था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कमेटी बनाई जावेंगी ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के सामने कई प्रश्न आया करते हैं लेकिन जो बात अन्त में जाकर तय होती है वही आपको बताई जाती है।

(अनौपचारिक चर्चाएँ)

प्रश्न संख्या ११३२ व ११३३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ; श्री शिवदानसिंह।

(अनुपस्थित--कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ११३४

नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ११३५

लाइसेन्स शुदा शस्त्र प्रोहिबिटेड बोर शस्त्र होने के कारण पुलिस द्वारा जब्त होने पर उनके मालिकों को कीमत चुकाने सम्बन्धी

श्री खेतसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिन व्यक्तियों के लाइसेन्स शुदा शस्त्र प्रोहिबिटेड बोर शस्त्र होने के कारण पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जब्त कर पुलिस लाइन्स में जमा कर रखे हैं उन शस्त्र

Page No.6

[श्री खेतसिंह]

की कीमत उनके मालिकों को कब और किस बेसिस पर किस अवधि में चुका दी जायगी ?

(ख) इन जमा शुदा शस्त्रों को अब सरकार किसे देने के विषय में सोच रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि वे शस्त्र पुलिस के थानेदारों को लाइसेन्स हासिल करने पर दिये जावेंगे ?

(घ) क्या सरकार उन व्यक्तियों को जिनके पास से ये प्रोहिबिटेड बोर शस्त्र छीन गये हैं उन्हें इनके एवजाने में उन शस्त्रों से मिलते नोन प्रोहिबिटेड बोर शस्त्र लाइसेन्स हासिल करने पर देने का कोई विचार रख रही है ? यदि हाँ, तो क्या तजवीज है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) सरकार कौन कौन से बोर को प्रोहिबिटेड बोर कायम कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) प्रोहिबिटेड बोर के शस्त्र मुख्य सचिव की आज्ञानुसार पुलिस में जमा कराये जाते हैं। ऐसी आज्ञा देते समय शस्त्रों के स्वामियों को एक निश्चित अवधि बता दी जाती है जिसके अन्तर्गत वे अपने शस्त्रों को ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर सकते हैं जिनके पास प्रोहिबिटेड बोर के शस्त्र रखने के लाइसेन्स हैं। उस दशा में जब कि वे अपने शस्त्रों का हस्तान्तरित न कर सके, सरकार अपनी हाल ही में बनाई हुई समिति द्वारा, जिसमें सदस्य जिलाधीश सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस एवं डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं, उनका मूल्यांकन करवा कर समिति द्वारा निर्धारित मूल्य उनके स्वामियों को दे देगी और हथियार अपने पास रख लेगी।

(ख) सरकार ने इन शस्त्रों को किसी जाति या व्यक्ति विशेष का हस्तान्तरित करने का निर्णय नहीं किया है। जिनके पास ऐसे शस्त्र रखने के लिए आर्म्स रूल्स (Arms Rules) के अनुसार प्रदत्त लाइसेन्स हैं वे ऐसे शस्त्र रख सकेंगे। पुलिस के थानेदारों एवं अन्य ऑफीसरान को भी दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) इसका उत्तर (ख) में निहित है।

(घ) नहीं। एवज का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा शस्त्र प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रार्थनापत्र देना होगा और उस पर निर्णय नियमानुसार किया जायगा।

(ङ) इस विषय में निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आर्म्स रूल्स (Arms Rules) १९५१ की धारा ७ के अनुसार निम्नलिखित शस्त्र प्रोहिबिटेड बोर माने जाते हैं :—

Page No.7

[श्री जयनारायण व्यास]

'३०३ बोर राइफल।

'४१० बोर मस्केट।

'४४१ से ४५५ बोर तक की पिस्तोल अथवा रिवॉल्वर।

'६ एम. एम. की पिस्तोल व रिवॉल्वर।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिन्हें यह प्रोहिबिटेड बोर रखने की इजाजत है।

श्री जयनारायण व्यास—यह एक अलग प्रश्न है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या गवर्नमेंट कर्मचारियों के अलावा एक भी व्यक्ति माननीय मुख्य मन्त्री के खयाल में है कि जो इस प्रोहिबिटेड बोर को बिना लाइसेन्स के रखे हुए हैं?

श्री जयनारायण व्यास—मैं खयाल से उत्तर नहीं देता हूँ। फेक्टस दे देता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या एक भी व्यक्ति का नाम उनको नहीं मालूम है कि जो कि इन प्रोहिबिटेड बोर शस्त्र को रखे हुए हैं?

श्री जयनारायण व्यास—फेक्टस में एक-दो नहीं, सब बराबर हैं।

(हंसी)

श्री खेतसिंह—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने निश्चित अवधि के भीतर प्रोहिबिटेड शस्त्र खोस लिए हैं, तो क्या उन शस्त्रों के मालिकों को मौका दिया जायगा कि वे उन शस्त्रों को वापिस बेच दें।

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं समझता कि यह किस तरह से ठीक है। किसी कारण से शस्त्र ले लिए गए तो वह ठीक है।

श्री खेतसिंह—कारण नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इतला दी कि इन शस्त्रों को जमा करा दीजिये। तो, क्या जमा होने के बाद में उन शस्त्रों को उनके मालिकों को बेचने की इजाजत होगी या नहीं?

श्री जयनारायण व्यास—बेचने की अवधि जब नोटिस दिया था उससे समझी जाय।

श्री खेतसिंह—नोटिस देते ही जमा करा दिए, तो फिर अवधि का प्रश्न ही नहीं रहता ।

श्री जयनारायण व्यास—नोटिस से अवधि रह जाती है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आम तौर पर ऐसा समझा जाता है कि प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेन्स मिलना मुश्किल होता है । जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मिल सकता है तो मेरी समझ में तो यह नहीं आता । मैं तो समझता हूँ कि प्राहिबिटेड बोर का लाइसेन्स नहीं मिलता ।

श्री जयनारायण व्यास—मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं समझा । आम तौर पर लोगों को ऐसे लाइसेन्स नहीं दिये जाते हैं ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—फिर वह किसको दिये जावेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको लाइसेन्स प्राप्त हैं और कुछ को नहीं । इसकी सूची आप होम डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री खेतसिंह—आम तौर पर और किसी को इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि आप इसका ज्यादा अर्थ ले सकते हैं ।

श्री खेतसिंह—तो क्या हम समझें कि उनको पैसा मिलेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—किसी को अगर बेच दिया गया है तो वह देगा । इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई है जो मूल्यांकन करेगी और पैसा दिलावेगी ।

श्री राजा हिम्मतसिंह अटरू—क्या एम. एल. एज भी प्रोहिबिटेड बोर्स रख सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—That will be decided after an application is made.

नेक्स्ट । श्री खेतसिंह ।

प्रश्न संख्या ११३६

राजस्थान में आई. ए. एस तथा आई. पी. एस. अधिकारी

श्री खेतसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.9

[श्री खेतसिंह]

(क) अब राजस्थान में ए. सी. व प्रोमोशन हासिल शुदा तमाम कितने आई. ए. एस. वा कितने आई. पी. एस. ऑफिसर्स हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कलेक्टर एस. डी. ओ. व पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टस इन्हीं आई. एस. ए. व आई. पी. एस. अफसरान में ही रखे जावेंगे ?

(ग) क्या यह सही है कि हर डिपार्टमेंट का हैड इन्हीं आई. ए. एस. व आई. पी. एस. ऑफिसर्स में से ही रखा जावेगा ?

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य मन्त्री)—(क) राजस्थान केडर के आई. ए. एस. अफसरों की कुल संख्या ६३ है जिनमें से ६ उत्तर प्रदेश, पंजाब व ट्रेनिंग स्कूल में हैं।

आई. पी. एस. अफसरों की कुल संख्या ३७ है जिनमें से २ ट्रेनिंग स्कूल में हैं।

(ख) २४ डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टर अब २५ हो जावेंगे, व पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टस क्रमशः आई. ए. एस. तथा आई. पी. एस. या आर. ए. एस. व आर. पी. एस. के वे अफसर जो कि भारत सरकार द्वारा आई. ए. एस. व आई. पी. एस. के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित हो चुके हैं, होंगे। जूनियर आई. ए. एस. अफसर कहीं भी किसी जूनियर आर. ए. एस. पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एस. डी. ओ. आई. ए. एस. हो।

(ग) नहीं। केवल निम्नलिखित हैडस ऑफ डिपार्टमेंट के पद आई. एस. एस. केडर में हैं:—

सेटिलमेंट कमिश्नर।

कमिश्नर कस्टम्स एन्ड एक्साइज़

डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट

डाइरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाईज़।

आई. ए. एस. अफसर अपने केडर से डेपूटेशन पर दूसरे विभागों के अध्यक्ष हो सकते हैं।

श्री खेतसिंह—आई. ए. एस. को प्रोमोशन लिस्ट में रखने का क्या कारण था ?

श्री जयनारायण व्यास—आई. ए. एस. उनको कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। प्रोमोशन लिस्ट में तो वे होते हैं जो आर. ए. एस. या आर. पी. एस. में हैं। उनको आई. ए. एस. या आई. पी. एस. में लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के होम डिपार्टमेंट से निश्चय किया जाता है।

श्री खेतसिंह—तो जो प्रोमोशन पा जाते हैं वे आई. ए. एस. बन जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—आई. ए. एस. भी बन जाते हैं और आई. पी. एस भी बन जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ११३७

पुलिस आउट पोस्ट से तरावा (पी. एस.) मेधू डिस्ट्रिक्ट जोधपुर की स्थापना सम्बन्धी राजपत्र में विज्ञप्ति

श्री खेतसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पुलिस आउट पोस्ट से तरावा (पी. एस. (Police Salion) मेधू, (डिस्ट्रिक्ट जोधपुर) किस तारीख को कायम हुआ था ?

(ख) क्या कारण है कि उपरोक्त आउट पोस्ट के लिए अभी तक राजस्थान में राजपत्र नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ?

(ग) क्या यह सही है कि पी. एस. (Police Station) शेरगढ़ के मातहत एक ओ. पी. गाँव उटाम्बर में कायम करने की सरकार की तजवीज है ? यदि हाँ, तो यह ओ. पी. (Out post) कब तक कायम किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) १५ सितम्बर १९५३, को।

(ख) राजपत्र में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री खेतसिंह—सुनाई नहीं दे रहा है।

Page No.11

श्री जयनारायण व्यास—(क) १५ सितम्बर १९५३ को।

(ख) राजपत्र में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्योंकि इस आउट पोस्ट के आधीन गाँवों की सूची अभी विचाराधीन है।

(ग) नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह—सूची अन्तिम रूप से आपके सामने आ जायगी यह गजट में नोटिफिकेशन हो जायगा।

श्री जयनारायण व्यास—अवश्य।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ११३८

पंचायत विभाग राजस्थान से ग्रामोत्थान के लिए विभिन्न मदों में दी जाने वाली रकम

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचायत विभाग राजस्थान से ग्रामोत्थान के लिए किन-किन विभिन्न मदो में कितनी-कितनी रकम किस-किस प्रकार से दी जाती है?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ अंश में उन स्थानों में वह रकम दी गई, जिसको देने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी?

(ग) गतवर्ष इस विभाग से सबसे ज्यादा रकम राजस्थान की कौनसे डिस्ट्रिक्ट को दी गई थी और चालू वर्ष में कौनसे को?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) पंचायत विभाग से पंचायतों को पंचायत गृह सड़कें, खुर्रे बनाने, पुस्तकालय, रोशनी इत्यादि के प्रबन्ध के लिए तथा कुओं की मरम्मत आदि जनहित कार्यों के लिए सहायता दी जाती है जब कि पंचायत अपनी ओर से आधा रुपया व्यय करने के लिये तैयार होती है। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की योजना के अन्तर्गत पंचायतों को सहायता इस शर्त पर दी जाती है कि गाँवों की ओर से नकद अथवा शारीरिक श्रम के रूप में २३ प्रतिशत योग दिया जाय। रकम की तादाद बजट का स्वीकृत द्रव्य तथा कार्य की विशेषता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

[श्री रामकरण जोशी]

(ग) गंगानगर का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस वर्ष अभी किसी को सहायता नहीं दी गई।

श्री खेतसिंह--गत वर्ष गंगानगर को सबसे ज्यादा पैसा देने की कैसे आवश्यकता पड़ी।

श्री रामकरण जोशी--उस हिस्से में अकाल था। उस जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने उसके लिए रिकमन्ड किया था उसी तादाद में दिया गया।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार के ध्यान में है कि गंगानगर में गतवर्ष सबसे ज्यादा भयंकर अकाल था और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या नहीं था ?

श्री रामकरण जोशी—अकाल था, इसलिए रकम दी गई थी। दूसरी जगह भी दी गई।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या कारण था कि कोटा तहसील में पानी की कमी होने पर भी वहाँ ग्राम पंचायतों को सहायता नहीं दी गई ?

श्री रामकरण जोशी—कई बार कई जगह अकाल पड़ता है, गत वर्ष ७ लाख और कुछ हजार रुपये रखे गये थे। इस वर्ष २५ लाख रुपये दिये जावेंगे; उसमें कोटा का भी ध्यान रखा जायगा।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या माननीय मन्त्रीजी के यह बात ध्यान में नहीं थी कि कोटा जिले में किशनगंज, शाहबाद, रामगंज मण्डी और लाडपुरा तहसीलों में कुओं का पानी सूख गया था और पीने के पानी की भी कमी थी, तो क्या सरकार को वहाँ सहयता देने की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री रामकरण जोशी—मैं निवेदन करूं कि कई बार पीने के पानी की व्यवस्था का रुपया उन इलाकों में दिया गया जिनको कि अकाल पीड़ित घोषित कर दिया गया। अब सब जगह के लिए दिया जायगा जहाँ कि पीने के पानी की कमी है और उसमें कोटा, लाडपुरा और बाकी सब स्थानों को भी उनकी सब की आवश्यकता के मुताबिक दिया जायगा।

कुँ. **श्री जसवन्तसिंह**—क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि बेचारे बीकानेर डिविजन को यदि कभी कोई टुकड़ा फैंक दिया जाता है, चाहे दुर्भाग्य से सही या सद्भाग्य से सही, तो वह माननीय सदस्यों को क्यों खटकता है ?

श्री रामकरण जोशी—किसी को खटकता नहीं है। वे अपनी अपनी आवश्यकताओं को सामने रखते हैं। बीकानेर वालों को भी सोचना चाहिए।

श्री खेतसिंह—यदि लूनकरणसर को पैसा मिले तो कोई बात नहीं है, किन्तु गंगानगर एरिया जो कि फर्टाइल एरिया (उर्वरा क्षेत्र) है उसको पैसा क्यों दिया जाय ?

श्री रामकरण जोशी—उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति को ध्यान में रखने के बावजूद भी उसके जो दूसरे हिस्से और जिसमें लूनकरणसर भी आता है, अकाल से पीड़ित थे, उनको सहायता दी गई।

श्री प्रभुदयाल—अकाल की परिभाषा में जहाँ पानी नहीं बरसता है वह जगह क्या पानी की समस्या में नहीं आती है ?

श्री रामकरण जोशी—अकाल तो पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११३६

फलसून्ड ग्राम निवासियों को गृह निर्माणार्थ पास ही निकलने वाली खड्डी लेने की मनाही

श्री खेतसिंह—क्या उद्योग मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) फलसून्ड ग्राम की जनता को मकान बनाने के लिये ग्राम के पास निकलने वाली खड्डी को लेने की मुमानियत क्यों की गई ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि फलसून्ड के आस-पास कहीं पत्थर न निकलने की वजह से बिना खड्डी के लोगों को बड़ी परेशानी है ? यदि हाँ, तो सरकार किस अवधि में वहाँ की जनता को राहत पहुँचाने के लिए माकूल हुक्म भेजने की कृपा करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य एवं उद्योग मन्त्री)—

(क) मिनरल कन्सेशन रूल्स (Concession Rules), १९४९ के अन्तर्गत जिप्सम (खड्डी) एक विशेष खनिज माना गया है। और इस खनिज को निकालने का ठेका बिना भारत सरकार की अनुमति के प्रदान नहीं किया जा सकता। वह खड्डी को प्राइवेट व्यक्ति को ठेके पर देना उपयुक्त नहीं समझती है। अतः फलसून्ड के निकट खड्डी का खोदा जाना रोक दिया गया है।

(ख) हाँ। यह प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है और ज्यों ही भारत सरकार से खनिज के इस डिपोजिट को ठेके पर देने के लिये अनुमति प्राप्त हो जायगी, फलसून्ड के निकट भी खड्डी को खोदे जाने की आज्ञा दे दी जावेगी।

श्री खेतसिंह—घरेलू प्रयोग के लिए यदि खड्डी लाने का आदेश दे दिया जाय तो जो मकान बरबाद हो रहे हैं वे मकान बरबादी से बच सकते हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि में इस बात को इसी प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर चुका हूं। खड्डी का उद्योग एक मेजर मिनरल है जिस पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कन्ट्रोल है; इसलिये यह सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह इजाजत दे सके। इसके बदले में यह सलाह दूंगा कि सेतरावा का पत्थर इस काम के लिये प्रयोग में लाया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है।

श्री खेतसिंह—फलसुन्ड ग्राम से सेतरावा ज्यादा दूर है, इसलिये वहाँ से पत्थर ले जाकर मकान नहीं बना सकते।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य को मालूम है कि वह ज्यादा दूर नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—केवल पत्थर से बिल्डिंग नहीं बनती खड्डी से, पत्थर चिपकाये जाते हैं। अतः खड्डी का होना बहुत जरूरी है। केवल पत्थर से मकान नहीं बनते।

श्री जयनारायण व्यास—मकान बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जा सकता है, मुरड का प्रयोग किया जा सकता है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इससे यह समझा जाय कि आधुनिक मकान बगैर पत्थर के चिपकाये बनाये जा सकते हैं?

श्री जयनारायण व्यास—आप इस तरह से समझते होंगे। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, किन्तु मेरा ऐसा ख्याल नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—यहाँ पर सीमेन्ट और चूने का प्रबन्ध नहीं है, इसलिये खड्डी की इजाजत दी जाय तो कोई बेजा नहीं होगा?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ख्याल है कि सीमेन्ट भी कुछ अनुपात से दिया जाता है, उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—The Qustion hour is over.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री शिवदानसिंह, विभाग संख्या १४० ने दिनांक १६.७.५४ से दिनांक २३.७.५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

राजस्थान तोल तथा माप विधेयक, १९५४ (विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Rajasthan Weight and Measures Bill, 1954.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मुझे खेद है कि जिन महानुभाव के आग्रह पर यह बिल आज के लिये स्थगित किया गया था वे आज अनुपस्थित मालूम पड़ते हैं। दूसरे महानुभाव इस विषय पर बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई इस पर नहीं बोलते हैं तो मुझे बहस का उत्तर देने का अधिकार मिल जायगा।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप उत्तर दे दीजिये।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, वेट्स एन्ड मेज़र्स बिल, यह नाम जितना नोन कॉन्ट्रोवर्शियल (non-Controversial) हो सकता है उतना नोन कॉंट्रोवर्शियल बिल मेरा ख्याल है इस सदन में पहले शायद ही आया हो। श्री तनसिंहजी इस बिल की हमारी सिलेक्ट कमेटी में सदस्य थे और सिलेक्ट कमेटी के सामने जब यह बिल उपस्थित किया गया उस वक्त सिलेक्ट कमेटी ने इस पर पूरी छानबीन की। उस समय भी श्री तनसिंह जी ने जो बातें अपने मिनिट ऑफ डिसेन्ट (minute of dissent) में लिखी हैं वही बातें उस समय भी उठायी थीं। मेरा ख्याल है कि उस समय भी इन बातों की सफाई करने की कोशिश की गई थी फिर भी श्री तनसिंह जी ने जो एतराजात इसके साथ लगाये हैं उन पर मुझे कोई एतराज नहीं, उनके मतभेदों से मुझे कोई एतराज नहीं। मैं भविष्य के लिए माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूँगा और आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब कभी कोई सिलेक्ट कमेटी का सदस्य किसी प्रकार का मिनिट ऑफ डिसेन्ट, किसी बात से असहमति की कार्यवाही लिखने का विचार करें तो उन्हें इस तरह के विचारों से सिलेक्ट कमेटी को अवश्य अवगत करना चाहिये। इस सुझाव का भविष्य के लिये शायद उपयोग हो सकता है। जहां तक इस मिनिट ऑफ डिसेन्ट का ताल्लुक है मैं इस पर दो शब्द कहना जरूरी समझता हूँ।

सबसे पहली बात यह है कि जो वेट्स एन्ड मेज़र्स बिल यहाँ पेश किया गया है वह इस ख्याल से पेश नहीं किया गया है कि पुराने कायदे-कानून जो ताजीरात हिन्द में है या पंचायत एक्ट

[श्री जयनारायण व्यास]

में या म्युनिसिपल एक्ट में है उन कायदे-कानूनों को बदला जाय बल्कि एक विशेष लक्ष्य को रख कर यह कानून पेश किया गया है। विशेष लक्ष्य यह है कि जहाँ अलग-अलग तरह से वेट्स हैं, मेज़र्स हैं उन वेट्स एन्ड मेज़र्स को एक किया जाय ताकि भविष्य में वेट्स एन्ड मेज़र्स की वजह से कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण न कर सके, यह इस बिल का उद्देश्य है। पुराने जमाने में भी जब कभी तोल व मेज़र्स को बदला जाता था तो बहुत एतराज होते थे। मुझे अपने बचपन की बात याद है जब सारे मारवाड़ में जोधपुर स्टेट में एक तरह का तोल करने का प्रश्न आया तो उस समय के रेवेन्यु मिनिस्टर ने जब एक तरह के तोल की आज्ञा जारी की उस वक्त श्री श्याम बिहारी वर्मा, जो कि वहाँ के रेवेन्यु मिनिस्टर थे उनके नाम पर यह कहावत हो गई थी :

"तोल पक्को श्याम बिहारी कच्चो"

इस प्रकार वेस्टेड इन्टरेस्ट (vested interest) के लोग सब समय मौजूद होते हैं। उस समय भी वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग यह चाहते थे कि तोल इस तरह के होने चाहिये ताकि वे फायदा उठा सकें। इस सम्बन्ध में मारवाड़ी में बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। वे लोग जो इस प्रकार बाट और तोल के कारण फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने कई प्रकार के दोहे जोड़ रखे थे उनमें से एक इस प्रकार है......

"ठाकर नान्हा होय हुकम ठकरानियाँ,
गाँव दुसाख्या होय के बस्ती बाणियाँ,
पछेरियाँ का तोल धड़ी सूं तोलणा,
इतरा दे करतार फेर नहीं बोलणा।"

इस प्रकार के जो कुछ भी सन्देह पैदा हो जाते हैं भिन्न भिन्न तोलों और बाटों के कारण उन सन्देहों को रफा करने के लिए यह बिल पेश किया गया है। श्री तनसिंहजी ने अपने भाषण में दो बातें उठाई हैं; एक तो यह है कि पंचायत के कानून के अन्दर कुछ व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था में और उस व्यवस्था में टक्कर हो जायगी। दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपल कानून के अन्दर भी कुछ व्यवस्था है इसलिए इस बिल से इन दोनों व्यवस्थाओं में टक्कर हो जायगी। इसके लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था इन कानूनों के अलावा पीनल कौड में और ताजीरात हिन्द में भी है। उसमें इस प्रकार का विधान है कि जो कोई गलत वेट्स एण्ड मेज़र्स यूज़ (प्रयोग) करता है उसको साल भर की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। पंचायत एक्ट में भी पंचायतों को अधिकार है कि वे पचास रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं। म्युनिसिपल एक्ट में भी इसी प्रकार का विधान है। शायद यहाँ कुछ गलती से लिख दिया गया हो। २५०)रु० तक म्युनिसिपेलिटी भी जुर्माना कर सकती हैं। श्री तनसिंहजी ने भी अपने मिनिट ऑफ डिसेन्ट में इस सम्बन्ध में २००) रुपये के जुर्माने का जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि म्युनिसिपेलिटी को २५०) रुपये तक जुर्माना करने

[श्री जयनारायण व्यास]

का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति म्युनिसिपेलिटी की हद में कम नाप-तोल रखता है तो उस गलती के ऊपर २५०) रु० तक म्युनिसिपेलिटी जुर्माना कर सकती है। अगर पंचायत की हद में कोई इस प्रकार की गलती करता है तो उससे ५० रु० तक जुर्माना लिया जा सकता है, किन्तु यह जो कानून लाया गया है वह सारे वेट्स एन्ड मेज़र्स को रेगुलराइज़ करने के लिए लाया गया है। इस बिल का मकसद इण्डियन पीनल कोड और पंचायत कानून से भिन्न है। हमारे इस बिल के अन्दर इस प्रकार की गलती करने वाले को, गलत वजन के लिए सजा दी गई है। वजन ठीक होते हुए भी गलत तरीके से तोलने पर सजा की व्यवस्था की गई है अगर कोई इन्टेन्शली गड़बड़ करता है तो उसको एक साल की सजा तक दी जा सकती है। इन्टेन्शली इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाले को एक साल की सजा की व्यवस्था है। इस तरह से अलग-अलग सजाओं की अलग-अलग गलतियों के लिए व्यवस्था की गई है, जो न तो प्रोसीजर कोड में है, न पंचायत एक्ट में और न म्युनिसिपल एक्ट में है। आपको तो सिलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए जिसने इस प्रकार की जो एनोमोली (anomoly) पैदा हो गई थी उसको दूर करने के लिए यह बिल पेश किया है। इस बिल से एक प्रकार की सुव्यवस्था हो जायगी। इस बिल के मन्जूर होने के बाद में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहेगी। मैं इन शब्दों के साथ श्री तनसिंहजी ने जो मिनिट ऑफ डिसेन्ट रखा है उसका उत्तर देता हूँ। उसके उत्तर के साथ-साथ उन्होंने जो व्याख्यान दिया है उसका भी उत्तर दे चुका हूँ। इसके साथ-साथ मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस निर्दोष बिल को पास करें।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Weights and Measures Bill, 1954, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is carried.

(विराम)

The re are no amendments.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि इसमें कोई संशोधन नहीं है इसलिए इसे एक साथ विचारार्थ ले लिया जावे और अगर कोई महानुभाव कहना चाहे तो उन्हें सुन लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—नियम १४६ देखिए।

श्री जयनारायण व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पास किया जावे।

श्री भैरूँसिंह (वि० क्षे० १६)—अभी पास कैसे किया जा सकता है। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावे तो सदस्य अपनी राय दे सकेंगे।

[श्री भैरूँसिंह]

इसलिए मैं कहूँगा कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—The Member should see clause 146 of the Rules of Procedure.

श्री भैरूँसिंह—इस बिल में अमेंडमेन्ट नहीं हैं, तो भी मेम्बर को अधिकार है कि वह चाहे तो एक एक क्लॉज़ पर अपनी राय व्यक्त करे, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जावे। यह भी रूल्स आफ प्रोसीजर में है।

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—पास किया जावे साहब।

श्री अध्यक्ष—He objects that it should be taken clause by clause.

श्री भोलानाथ—जैसी आपकी आज्ञा हो।

श्री अध्यक्ष—I have said that Rule 146 is quite clear. I have no objection If the Hon'ble Members of the House want to proceed clause by clause. But when there are no amendments it is of no use proceeding like this.

श्री जयनारायण व्यास—और तो कोई बात नहीं है पर......

श्री हिम्मतसिंह—भैरूँसिंहजी जवाब देना चाहते हैं इसलिए उनको मौका दिया जावे। वैसे भी थर्ड रीडिंग के समय तो उनको कहने का अधिकार है।

श्री भैरूँसिंह—कई क्लॉज़ ऐसे हैं जिनमें संशोधन तो नहीं हैं, पर फिर भी उन पर कहना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—तो आप बताइये न कि कौन-कौन से क्लॉज़ हैं वे, जिन पर आप बोलना चाहते है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—लिस्ट अब बना रहे हैं आप?

श्री भैरूँसिंह—नहीं साहब, इस पर निशान लगे हुए हैं उनको एक जगह लिख रहा हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—आप अगर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ भी बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप दूसरे क्लॉज़ से शुरू कर दीजिये। कोई बोलना चाहेगा तो बोल देगा।

[श्री अध्यक्ष]

(श्री भैरूँसिंह द्वारा सूची देने के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—Clauses 2, 3, 4, 5 and 6.

(विराम)

Yes. The question is that clause 2, 3. 4, 5 and 6 be passed.

(स्वीकृत)

Clause two to six stand part of the Bill.

(विराम)

Clause 7.

(विराम)

The question is......

(श्री भैरूँसिंह के खड़े होने पर)

हाँ, बोलिये क्लॉज़ ७ पर।

श्री भैरूँसिंह—क्लॉज़ नं० ७ नहीं साहब, १७ (सेवेन्टीन)

श्री अध्यक्ष—Then I put the Question. The question is that clauses 7 to 16 be added to the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 7 to 16 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 17

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज़ १७ में वेट्स एन्ड मेज़र्स की वेरिफिकेशन (verification) के बारे में कहा गया है।

[श्री भैरोंसिंह]

(श्री भैरोंसिंह द्वारा भूल से माइक का स्विच ऑन करने के बजाय ऑफ कर देने पर)

श्री जयनारायण व्यास--आपने बन्द कर दिया है।

श्री जसवन्तसिंह—आपको भैरोंसिंहजी सुनाना नहीं चाहते हैं।

(माइक को पुनः ओन करने के पश्चात्) और इसके सब क्लॉज़ (२) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार इस सम्बन्ध में होने वाली गल्तियों की एक ऐसी सीमा निर्धारित कर सकती है जिसके आधार पर यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उस गलती को सरकार टोलरेट करे। इसका मतलब यह होता है कि किसी एक सीमा तक कोई भी व्यक्ति कम तोल सकता है, कम नाप सकता है और इसी तरह की कोई छोटी-मोटी गलती भी कर सकता है।

जहाँ तक इन गलतियों का सम्बन्ध है मैं इसके बारे में निवेदन करूँगा कि किसी भी माने में कोई भी सजा जब दी जाती है तो वह सजा उस गलती करने वाले की नीयत पर मुनस्सर होती है, नुकसान चाहे थोड़ा भी हो या अधिक भी कभी हो गया हो, पर सजा के हल्केपन और भारीपन का होना उसकी नीयत पर मुनस्सर होता है। तो जहां तक नीयत का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई अगर जानबूझ कर गलती करे, जिससे किसी व्यक्ति को थोड़ा नुकसान हुआ है, तो उसे टोलरेट किया जावे। पर, जो वर्डिंग्स हैं इसके उससे तो सरकार को यह अधिकार है कि कोई चाहे जानबूझकर और चाहे अनजान में गलती करे, चाहे फायदा उठाने की नीयत से करे, जो शख्स इस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की कोई भी; चाहे छोटी भी गलती करे जो छोटी गलती की सीमा के अन्दर आती हो, तो सरकार उसको टोलरेट कर सकती है; यानि उसका प्रोसीक्युशन नहीं होगा, और न सजा होगी।

अब इस तरह से जो नाप-तोल हैं, वहां सरकार इसकी एक सीमा निर्धारित करती है। इसमें नाज, कपड़ा, सोना, चाँदी, सीमेन्ट आदि का तोल भी आता है। इसमें अगर एक सीमा निर्धारित करती है सरकार तोल की, तो इस तोल से नाज, कपड़ा या सीमेन्ट जैसी ऐसी चीजें हैं जिनमें एक तोला या ऐसे ही किसी तोल की सीमा निर्धारित हो जावे तो इस सीमा तक कम भी निकले तो कोई नुकसान इससे नहीं होता है। पर, सरकार इसके लिये तौल का कोई स्टेन्डर्डाइजेशन कर दे और सोने के अन्दर पाव रत्ती भी मन्जूर कर ले और दूसरे नाज में तोला भर कर ले तो दूसरे नाज आदि में इससे कोई नुकसान नहीं होगा जनता को, पर सोने के अन्दर पाव रत्ती भी अगर कम हुआ और उसे टोलरेट करने की बात कही गई तो यह ज्यादा नुकसानदेह बात होगी। तो इस तरह से मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की सूची बनाने में, हरेक चीज की लिस्ट बनाने में और उसके लिए अलग-अलग वजन की सीमा निर्धारित करने में सरकार को भी दिक्कत होगी और जनता को भी और इससे जो धोखा देने की नीयत रखते हैं और जनता को कम तोल कर ज्यादा मुनाफा कमाने का जिन्होंने अपना धन्धा ही बना लिया

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

है उनके सामने एक प्रकार का इससे रास्ता खोल दिया जावेगा कि वे इसके जरिये से बेजा मुनाफा कमावें।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके होते हुए इस क्लॉज़ को स्वीकार न किया जावे। अगर इसको स्वीकार किया गया तो जनता को बजाय फायदे के नुकसान ज्यादा होगा। यही निवेदन मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी करूंगा कि वे इस पर सोचें और इसे नामन्जूर कर दें, तो ज्यादा उत्तम होगा।

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का भय माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने प्रकट किया है उस भय के लिए कोई गुंजाइश नहीं मालूम पड़ती है। तोल और बाट आदि व्यापारी के पास रहते हैं और उनके अन्दर वीयर और टीयर की गुंजाइश भी रहती है, कमा तकड़ी में फर्क (कारण) रह जाती है। ऐसा मामूली सा जो फर्क है उसको निकालने के लिए यह क्लॉज़ रक्खा गया है।

पर, यह कहना कि एक छटांक तक की गुंजाइश सोने में भी रख दी जावेगी और सीमेंट में भी रख दी जावेगी और अनाज में भी रख दी जावेगी, यह गलत बात है। बल्कि सोने के तोल तो अधिक होंगे नहीं, तोला मासा रत्ती में वे होते हैं, फिर मनों और सेरों में वह नहीं तोला जावेगा। इसलिए यह कहना कि सोने में भी तोला और पाव मासा कम हो जावेगा तो टोलरेट करना होगा, ठीक नहीं है।

इसलिए वीयर और टीयर की वजह से जो कहीं बुरी नीयत से भी गड़बड़ी होती है तो उसको टोलरेट करने के ख्याल से यह क्लॉज रक्खा गया है। इसमें सिवाय वीयर और टीयर की वजह को छोड़कर और कोई गड़बड़ी और नुकसान हो पब्लिक को, ऐसी गुंजाइश नहीं है।

अगर यह क्लाज़ नहीं रखा जाय तो समाज में बड़ा उत्पात सा मच जायगा और छोटी-छोटी गल्तियों में फालतू वक्त निकाल देंगे, जिससे कि तोल में विशेष फर्क नहीं पड़ता है और कीमत में भी विशेष फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उससे व्यापारियों को तकलीफ होगी और सरकारी अफसर क फालतू बातों में वक्त देना पड़ेगा, इस ख्याल से रखा गया है। मुझे आपका सुझाव स्वीकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं०१६)—माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो विचार बताये उनसे किसी सीमा तक तो मैं सहमत हूँ। उन्होंने मेरी एक बात को मन्जूर किया। यदि कोई जानबूझकर गलती नहीं करे, अनजान में उससे गलती हो जाय, तो उसको टोलरेट करने की आवश्यकता है। वह सबक्लॉज़ के वर्डिंग्ज़ को पढ़ते तो बिलकुल स्पष्ट हो जाता। अनजान और जानने का कोई सवाल नहीं। गवर्नमेंट एमाउन्ट प्रेस्क्राइब कर सकती है। प्रेस्क्राइब करने का जो सवाल है वह गवर्नमेंट सोच सकती है। कानून में चाहे नोईंगली (जानबूझकर) गलती हो या अननोइङ्गली (अनजाने में) गलती है, किसी तरह की गलती हो। उस सूरत में यह प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, सारी चीज को स्वीकार किया जा सकता है "Error" के बाद में जो वर्डिंग्स हैं कि अगर किसी आदमी न अनजान में गलती की हो तो सरकार उसको टालरेट कर सकती है।

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं। वियर एन्ड टियर (wear and tea कोई जानबूझकर नहीं होता है। यह नेचुरल फिनोमना है।

श्री अध्यक्ष—The question is that clause 17 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 17 is aidded to the Bill.

(विराम)

Clauses 18 to 34.

(विराम)

The question is that clausse 18 to 34 stand part of the Bill.........
(श्री भैरूँसिंह से) You want to speak on 35 or 34 ?

श्री भैरूँसिंह—On 34, Sir.

श्री अध्यक्ष—अच्छा ३३ तक। प्रश्न यह है कि खण्ड १८ से ३३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १८ से ३३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

Yes, clause 34.

श्री भैरूँसिंह (वि० स० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३४ के सम्बन्ध में जो कुछ इसमें जिक्र किया गया है उससे दूसरी राय मेरी नहीं है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग है इस क्लॉज में उससे इस क्लोज़ में शक पैदा होता है। उसमें लिखा है ;—

"Whoever neglects or refuses to produce for inspection any weight or neasure or any weighing or measuring instrument in his possession or on his premises or refuses to permit examination of the same, or obstructs the entry of an Inspector under section 27, or otherwise obstructs or hinders him in the performance of his duties, shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees."

[श्री भैरूसिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७ में इन्पेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि जब उसके पास नाप-तौल के औजारों की, जो वेट्स एन्ड मेज़र्स हैं उनके बारे में किसी प्रकार की शिकायत हो या उसे किसी प्रकार का शक-शुबहा हो तो वह आॅर्डर के जरिये ऐसे औजारों को इन्सपेक्शन के लिए मंगा सकता है, उनका इन्सपेक्शन कर सकता है। इन्सपेक्टर को यह अधिकार क्लॉज़ २७ के मातहत दिया गया है, लेकिन इसके ड्राफ्टिंग में क्लॉज़ २७ का जो एडजस्टमेंट है वह महज है कि "or obstructs the entry of an Inspector under Section 27" यह चीज खास तौर से स्पेसिफाइ (निर्दिष्ट) की गई है, जिसका मतलब यह हो जाता है कि वह चीज :—

"Whoever neglects or refuses to produce for inspection any weight or measure or any weighing or measuring instrument in his possession or on his premises or refuses to permit examination of the same,"

इसका दूसरी क्लॉज से संबंध है। बीच में कोमा लगा दिया है, इस कॉमा से क्लॉज़ २७ का संबंध दूर हो जाता है। क्लॉज़ २७. इस क्लॉज़ से महज "obstructs the entry of an Inspector" से संबंध रखता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज २७ की इन सारी चीजों को यहाँ एडजस्ट करने के लिए इसे ठीक प्रकार से ड्राफ्ट किया जाय।

श्री जयनारायण व्यास—क्लॉज २७ अधिकारों के सम्बन्ध में है और क्लॉज ३४ सजा से सम्बन्ध रखता है। क्लॉज २७ और ३४ को मिलाना कोई अच्छा काम नहीं है।

श्री भैरूँसिंह—मुझे खेद है, माननीय अध्यक्ष, कि माननीय मुख्य मन्त्री, जो कुछ मैंने कहा, उसे समझ नहीं सके हैं। मेरा मिलाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों क्लॉजेज़ को अलग रखना होगा। क्लॉज २७ को यहाँ इस प्रकार से एडजस्ट करें कि वर्डिंग्स में यह सारी चीजें आ जाँय जिसमें कि इन्सपेक्टर को अधिकार दिया गया है, कि वह अपने अधिकार के मातहत अगर इन्सपेक्शन के लिए चाहे तो उन औजारों को मंगा सकता है। यह सारी क्लॉज २७ की चीजें यहाँ कवर हो जाँय। इस तरह का प्रोवीजन क्लॉज़ ३४ में होगा कि क्लॉज़ २७ में जो ड्युटीज हो जाँय उन ड्युटीज का कंट्रावेन्शन (Contravantion) अगर कोई आदमी करता है, उनके परफॉर्मेन्स में कोई बाधा पहुँचाता है तो वह सजा का हकदार हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—He means to say that the Inspector calls for an inspection of the weights and measures at his own residence and a particular shopkeeper objects then that defiance should also be included as a penalty.

श्री जयनारायण व्यास—यह अमेन्डमेंट तो पहले भी दे सकते थे। बाद में भी अमेंडमेंट देंगे तो विचार किया जा सकता है। हमारा इतना ही मकसद है कि कोई भी गलती करता है तो

Page No.24

[श्री जयनारायण व्यास]

क्लॉज़ २७ में इन्सपेक्टर को अधिकार दिया है कि रीज़नेबल' टाइम में वह इन्सपेक्ट कर सकता है और ३४ में यह दिया गया है कि अगर इन्सपेक्शन के काम में अगर कोई बाधा पहुँचाता है तो वह अलग बात है। इसमें और भी सुझाव देने की बात थी तो पहले सोच सकते थे और अमेंडमेंट दे सकते थे। बाद में भी सोच सकते हैं और बाद में अमेंडमेंट लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १६)—बाद में अमेंडमेंट लेने में दिक्कत हो सकती है।

श्री जयनारायण व्यास--बाद में एमेंडमेंट को स्वीकार कर लूं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इनका कहना यह है कि यह मंगा नहीं लिये जायं। यह एक्ट में पनिशेबल होना चाहिए, that Can't be done.

श्री भैरोंसिंह—इसका मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जो कुछ इन्सपेक्टर ड्युटी बाउन्ड है और वह औजारों को देखने को मंगाता है और वह अधिकार दिया है उसको क्लॉज २७ के मातहत।

श्री अध्यक्ष—नहीं मंगाता है, तो जाता है, एन्ट्री करता है और उस एन्ट्री को कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो that is an offence.

श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १६)—मेरा मतलब है कि इन्सपेक्शन करने के अधिकार क्लॉज़ २७ के मातहत इन्सपेक्टर को दिये गये हैं। जब तक क्लॉज़ २७ के मातहत उन एक्शन्स को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो उस वक्त तक सजा देने में दिक्कत हो जाती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, "whoever neglects" यानी कोई निगलेक्ट करता है तो किसी औजार और मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट को कोई इन्पेक्टर इन्सपेक्शन के लिए मंगाये और वह पेश नहीं करे तो यह एन्ट्री का अधिकार क्लॉज़ २७ के मातहत है, लेकिन इसमें क्लॉज़ का जिक्र जो किया है वह महज इस चीज से एडजस्ट किया है कि "or obstructs the entry of an Inspector under section 27." क्लॉज़ २७ को इस तरह से एडजस्ट करें कि क्लॉज़ २७ की सारी बातों को कवर कर लें। यानी उन पर सारी बातों की खिलाफवर्जी करें तो उसको सजा का हकदार बना दे। इस तरह से उसको एडजस्ट करना चाहिए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— Mr. Speaker, Sir, I don't know what is this inner Assembly going on in this Assembly House. We are also the Members and we have the right to know. And if inner assembly in the Assembly House is to continue I would request the Hon'ble Chief Minister to go outside and have discussions.

Page No.25

श्री जयनारायण व्यास--This is not the thing to be discussed outside the House. This is a point which has to be discussed here. The Hon'ble Member suggested verbal change and discussed the grammatical aspect of this change. If there is any difference of opinion regarding grammatical aspect of this change I think the House should give the Leader of the House or the mover of the Bill an authority to iron out the differences.

श्री अध्यक्ष—Now, what is the conclusion ?

श्री जयनारायण व्यास— The conclusion was to be arrived when he (Kr. Jaswant Sinhg) disturbed.

श्री अध्यक्ष—So, I put it to vote as it is. The question is that clause 34 be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

हाँ, पक्ष जीता ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आवाज़ तो 'ना' पक्ष की अधिक थी।

श्री अध्यक्ष—The depth is not there. Clause 34 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 35.

(विराम)

The question is that clause 35 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 35 is added to the Bill.

(विराम)

Now, clause 36.

श्री भैरोंसिंह (वि०स० १६)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ३६ के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अनऑथेराइज्ड वेट्स एण्ड मेज़र्स (अनाधिकृत तोल एवं माप) इस्तेमाल करे तो उसको इस क्लॉज़ के मातहत कितनी और कैसे सजा दी जा सकती है, इस सम्बन्ध में यह क्लॉज़ ३६ है। माननीय अध्यक्ष, यदि इस कानून को बनाने से पहले भारतीय दण्ड विधान को देखा जाता तो शायद यह मालूम हो जाता कि इस प्रकार के जितने भी ऑफेन्सेज़ है उनमें सजा देने के लिए इन्डियन

Page No.26

[श्री भैरोंसिंह]

पीनल कोड में १ साल की सजा या १०००) रु० का जुर्माना होने की बात निर्धारित की गई है। उस कानून में और आज जो यहाँ कानून बनाया जा रहा है उसमें महज़ फर्क इतना है कि कम तोलने या नापने के सम्बन्ध में जो सजा दी जानी चाहिए वह प्रचलित प्रथा के अनुसार हो और वेट्स एण्ड मेज़र्स को स्टेन्डर्डाइज़ करने के लिए जो सजा इन्डियन पीनल कोड में निर्धारित की गई है वह मामूली ऑफेन्स होने पर भी कस्टम व रीति-रिवाज के अनुसार नाप तोल में कमी करने के लिए इस प्रकार के औजार काम में लें तो इस छोटे से ओफेन्स में भी १ साल की सजा और १ हजार रुपए तक की सजा रखी गई है। लेकिन अफसोस के साथ हम यह कहेंगे कि नाप तोल का स्टेन्डर्ड हमारे यहाँ नहीं होने के कारण व्यापारी कम तोलते हैं और दुनियाँ को ठगते हैं। उनके लिए कानून तो अवश्य बनाया जा रहा है लेकिन सजा में कमी की जा रही है। इसका मतलब यह होगा कि इससे उनको कम तोलने या कम नापने के लिए और उत्साह मिलेगा। इन्डियन पीनल कोड के अनुसार इस प्रकार के जुर्म में १ साल की सजा निर्धारित की गई है लेकिन राजस्थान सरकार जो कानून बना रही है उसके अनुसार जो नाप-तोल में कमी करेंगे उनको ६ महीने की सजा मिलेगी। पीनल कोड में यह सजा १ साल की थी, आपने ६ महीने की कर दी। अब यदि म्युनिसिपेलिटी या पंचायत का कानून बनेगा तो उसमें इस सजा को और भी घटा कर ३ महीनों की कर देंगे। चाहिए तो यह था कि इस प्रकार की कार्यवाही करनेवालों के खिलाफ कड़े से कड़ा तरीका अपनावें लेकिन हम इस चीज को बलाये ताक रख कर यह कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको लिबरल बनाया जाय। क्लॉज़ ३६ में यह दिया गया है :

"Which may extend to five hundred rupees and any trade had or made by such weight or measure or instrument shall be void."

इसमें सजा का कोई जिक्र नहीं है। आज हमें इस बात का अच्छी तरह से आभास हो गया है कि आज के जितने भी कानून हैं वे गरीबों के लिये हैं। किसी भी कानून को देखेंगे जिसमें कि सजा देने का प्रोविजन है तो पता चलेगा कि १ साल की सजा या ५००)रु० जुर्माना लिखा गया है। मैं दावे के साथ कहूँगा कि यदि इस प्रकार के जुर्मों को रोकना है तो हमें अपराध करनेवालों को शारीरिक कष्ट देना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बुरी आदत नहीं छोड़ेंगे। शारीरिक तकलीफ देने के लिये कारावास का जिक्र ज़रूर होना चाहिये। जब तक कारावास का जिक्र नहीं आता, तब तक इस लिबरल कानून से जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब जनता को फायदा ही नहीं होगा तो ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे कानून को स्वीकार नहीं करें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे माननीय साथी ने इस धारा को पढ़ा नहीं है और शायद जिस मकसद का मैंने जिक्र किया है, उस मकसद के साथ इस धारा को लगाया नहीं है। यह धारा तो किसी इर्रेग्युलेरिटी अनियमितता को दूर करने के लिये है, अगर किसी के पास इस प्रकार के गलत मेज़र्स पाये जांय तो उस गलती को दूर करने के लिये है, उस अनियमितता को मिटाने के लिये है।

श्री भैरोंसिंह (दांता राम गढ़)—इसमें "whoever uses" है।

श्री जयनारायण व्यास—फ्राड (fraud) से नहीं गलती से यूज़ करे, इस इर्रेग्युलिरिटी को दूर करने के लिये है। फ्रॉड के लिये तो पीनल कोड की सेक्शन्स २६४, २६५ और २६६ लागू हैं। तो यह धारा फ्रॉडुलेन्ट यूज़ के लिये नहीं इर्रेग्युलिरिटी को दूर करने केलिये हैं, न कि फ्राडुलेन्ट यूज (foraudulent uss) के लिये। फ्राडुलेन्ट यूज़ हो उसके लिये आई. पी. सी.के सेक्शन्स लागू हैं ही। ५००) रुपयों की सजा है वह इर्रेग्युलिरिटी को रोकने के लिये और मेज़र्स को रेग्युलेट करने के लिये है। इसलिये इसे मन्जूर कर लें तो कोई बुराई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 36 be accepted..

(स्वीकृत)

Clause 36 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 37

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—अब मैं क्लॉज़ ४० पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—Then Clauses 37, 38 and 39. (विराम) The question is that Clauses 37, 38 and 39 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 37, 38 and 39 are added to the Bill.

(विराम)

क्लाज़ ४०, क्या आप इसमें अमेंडमेंट पेश करना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—डिलीशन (deletion के लिये।

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४० के जरिये यह रखा गया है कि इस प्रकार के क्राइम्स के लिये प्रोसिक्युशन (अभियोग) किस प्रकार हो सकता है। इस धारा में यह प्रोविजन रखा है कि इसमें गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त अधिकारी की स्वीकृति के बगैर प्रोसिक्युशन नहीं हो सकता।

इस सदन में अनेकों बार चर्चा सुनी है कि जहां कहीं कानून में गवर्नमेंट ने इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि किसी कानून के भंग करने वाले व्यक्ति के प्रोसिक्युशन के लिये गवर्नमेंट की मंजूरी ली जाय तो ऐसे मामलों में प्रोसिक्युशन के लिये मंजूरी लेने में दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं। इस सदन में भी अनेकों बार सुना है और जनता में भी आम चर्चा है

[श्री भैरूंसिंह]

कि जहां ऐसे मामलों में प्रोसिक्युशन के लिये स्वीकृति का प्रोविजन रखा जाता है वहाँ शुरू से ही अच्छे और बुरे जरियों से इस बात की कोशिश की जाती है, गवर्नमेंट सेक्रोटेरियेट के ऑफिसेज में या मंत्रियों के यहां इस सम्बन्ध के कागज हों उनको दबाया जाय, ताकि जितने ऐसे मामलों में गवाह हो, इन्टरेस्टेड परसन्स (interested persons) हों वे परेशान हो जाँय और लोग इस बात को भूल ही जाँय।

सरकार से मंजूरी लेने के बाद प्रोसिक्युशन करने का जो प्रोविजन है वह क्राइम्स को एन्करेज करने का प्रोविजन है। अगर सरकार की यह नीति है कि इस प्रकार के क्राइम्स को रोका जाय तो सरकार को चाहिये कि वह ऐसा कानून रखे कि फौरन प्रोसिक्युशन हो, फौरन सजा हो, ताकि दूसरों के सामने एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें कि इस प्रकार का काम करने से इस प्रकार की सजा मिली। आज कोई इन्स्पेक्टर आये और गलत नाप-तौल पकड़े और फिर प्रोसिक्युशन के लिये सरकार की मंजूरी ले, उसके लिये लिखा-पढ़ी होती रहे और प्रोसिक्युशन में इस तरह ढील होती रहे तो इससे लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होगा और अधिक समय लगने से लोग भूल जाते हैं। यदि इस प्रकार का क्राइम होते ही होते फौरन प्रोसिक्युशन होता है तो औरों के लिये नजीर पेश हो जाती है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया, उसका प्रोसिक्युशन हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है और उसे जल्दी से जल्दी सजा होने वाली है। तो इस प्रकार हम लोगों को जो क्राइम करने की मेंटेलिटी (mentality) है उसको डिस्करेज (अनुत्साहित) करेंगे और इस तरह हम समाज का हित कर सकेंगे।

यदि सरकार की बिना स्वीकृति के प्रोसिक्युशन (अभियोग) नहीं किया जाय, इस प्रकार का प्रोविजन रखा तो इससे हम समाज की कोई भलाई नहीं कर सकेंगे। इसमें बड़ी देर लगेगी, सरकार से मंजूरी लेने के लिये लिखा-पढ़ी करनी पड़ेगी, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने प्लीड करना पड़ेगा और फिर वह ऑफिसर मंजूरी देगा और इस तरह डिले (विलम्ब) हो जाने के कारण उस केस में कोई कामयाबी नहीं मिल सकेगी और यह समाज के हित में नहीं, बल्कि अहित में होगा और इस तरह यह प्रोविजन लोगों को क्राइम्स (अपराध) करने के लिये एन्करेज (उत्साहित) करने का होगा। इसलिये मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, इस तरह के गलत वेट्स के, फ्रॉडुलेन्ट यूज के लिये तो प्रोसिजर कोड में सजा है।

राजस्थान में हम यह नया एक्ट बनाने जा रहे हैं, अतः हमें व्यावहारिकता की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गाँवों में मालिनें हैं वे आम तौर से सब्जियाँ बेचती हैं एक एक पैसे, दो दो पैसे की सब्जी बेचती हैं, वे पत्थर के टुकड़ों के बाँटों से ही तोलती हैं। तो क्या उनके लिये सम्भव हो सकेगा कि वे लोहे के पक्के बाट खरीद कर रखें और सब्जी बेचें। इस प्रकार की और भी कई बातें हैं।

Page No.29

[श्री श्रीदास गोयल]

अगर यह प्रोविजन नहीं रखा जाता है तो इस कानून के एग्ज़िस्टेन्स (व्यवहार) में आते ही मालिनों और दूसरे छोटे-छोटे लोगों को, जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको मुश्किल हो जायगी। अगर कोई फ्रॉडुलेन्ट यूज करता है तो उसके लिए पीनल कोड, पंचायत एक्ट, और म्युनिसिपल एक्ट भी अपना स्थान रखते हैं। अगर इस क्लॉज को हटा दिया जाता है तो मालिनों और किसानों के चालान शुरू हो जायेंगे और बड़ी तादाद में आम लोगों का प्रोसिक्युशन हो जायगा। यह एक्ट अपनी इन्फेन्सी (किशोरावस्था) में है इसलिये मालिनों और इसी प्रकार के काम करने वाले लोगों को और किसानों को आपत्ति से बचाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की इजाजत के बाद प्रोसिक्युशन करने का प्रोविजन रखना जरूरी है ताकि वह अधिकारी देखे कि किस प्रकार केसेज़ प्रोसीक्यूट किये जाँय। इसलिये यह क्लॉज ४० रखा गया है, इसका होना आवश्यक है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय अध्यक्ष, यह जो क्लॉज रखा गया है उसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्रोसिक्युशन के लिये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल अपवर्ड ऑफीसर मुकर्रर किया जायगा, और वह ऑफीसर इजाजत देगा तो प्रोसिक्युशन होगा, नहीं देगा तो नहीं। इसका और भी मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट शायद समझती है कि उसके इन्स्पेक्टर्स इतने ईमानदार नहीं है, इस लिये यह अफसर रखा है ताकि बेचारे गरीबों को किसी तरह से नहीं फँसावें। तो, ऐसा क्लॉज रखना वैसे तो वाजिब नहीं। सरकार को अपने ऑफिसर्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिये। उनके ऊपर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना करप्शन की ओर बढ़ाना है, इसलिये इस क्लॉज को तरमीम कर देना चाहिये; जो यह प्रोविजन रखा है कि स्पेशल अफसर मुकर्रर किया जावे और इसकी इजाजत ली जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव नहीं समर्थन करिये, जो उन्होंने प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्होंने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, मुख्य मन्त्रीजी ने अभी एक माननीय मित्र के निस्बत फरमाया कि उन्होंने इस एक्ट और क्लॉजेज को पढ़ा ही नहीं। मेरे जिम्मे अब यह काम कहने का आया है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जो इस बिल को पाइलोट कर रहे हैं उन्होंने खुद ने इसको पढ़ा नहीं और अब मैं उनका ध्यान इस एक्ट की धारा ३२-३३ की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—क्या धारा ३२-३३ अब कन्सीडर हो रही है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहाँ पर मैं धारा ३२-३३ का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। धारा ३२ और ३३ पास हो गई हैं और उनके पास होने की वजह से उन धाराओं का असर धारा ४० पर बराबर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

पड़ने वाला है। इसलिए मैं उनका ध्यान धारा ३२ और ३३ की ओर दिलाऊंगा और यह कहूँगा कि कुछ समय पहले वे इन धाराओं पर बोलते हुए यह कह रहे थे कि इन्डियन पीनल कोड में फ्रॉडुलेन्ट होना तो गलत सा है, इसलिये धारा ३२ में--

"(a) makes, sells or disposes of, or causes to be made, sold or dispose of.........." का जिक्र है और धारा ३३ में "(a) forges or counterfeits any mark or stamp used under this Act............"
जो किसी मार्क को काउण्टरफिट करें या उसके वजन को घटाए-बढ़ाए और ऐसा जानबूझ कर करें या करने की कोशिश करें तो उससे ज्यादा फ्रॉडुलेन्ट कार्यवाही क्या हो सकती है ? उसकी सजा तो पीनल कोड में भी रखी गई है।

अभी-अभी मेरे माननीय मित्र जो बड़े जोर शोर से इसका समर्थन करते जा रहे थे वे जोश में आ कर यह भी कह गये कि यह तो इन्टेन्शनल फ्रॉड (fraud) पर लागू होती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसका मतलब यह समझूं कि धारा ३२ और ३३ में जो जुर्म होगा उसके लिये यह धारा लागू नहीं होगी। मैं यह कहूँगा कि धारा ३२ और ३३ के अनुसार जो प्रोसीक्यूशन होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा। मेरा तो यह ख्याल है कि इस क्लॉज़ ४० को पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको पास करना कोई वाजिब बात नहीं होगी। वैसे तो कहावत है कि हर एक बड़े-ऊँचे घराने में दो किस्म के घोड़े होते हैं, एक तो दौड़ने वाले और दूसरे सिंगारू घोड़े होते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार के भी दो प्रकार के कानून बनते दिखते हैं, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा है। एक तो ऐसे जो अमल में लाये जावें और एक ऐसे जो सिर्फ स्टेच्युट बुक में उसकी शोभा बढ़ाते रहें, चाहे उन पर अमल हो या न हो। कहने के लिये यह गुंजायश रहती है कि कितने कानून हमने बना लिये हैं और दोनों में भावना का पता लगावें तो आपको मालूम होगा कि डिस्टिंग्युशिंग फीचर (distinguishing feature) धारा ४० रहेगी। दूसरे में उनका नम्बर होगा और सरकार के पास किये हुए बहुत से कानून स्टेच्यूट बुक की शोभा बढ़ाने के लिये पास किये जा रहे हैं, ऐसा होता है। मिसालन यहां पर जो एक फेक्ट्री एक्ट है, वह भारत सरकार का है और इस कानून के मातहत ऐसी गुंजायश रखी गई है कि अगर कोई कारखानेदार नियम भंग करे, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है. मगर उसके साथ साथ शर्त यह है कि उसमें सरकार की इजाजत की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि सन् १९४९ से, जब से कि राजस्थान कायम हुआ है फेक्ट्री एक्ट के मातहत जितने केसेज़ प्रोसीक्यूट हुए उनके आँकड़े बतावें और उन आँकड़ों पर आप गौर फरमावें तो आपको ऐसा मालूम होगा कि ऐसा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ४ साल से कई जगह फेक्ट्रीज़ बगैर लाइसेन्स काम कर रही हैं। वह भी किसी छोटे--मोटे कस्बे में नहीं, जोधपुर जैसे शहर में है। कोटा की जो फेक्ट्री छोटी-मोटी नहीं है, बूंदी में भी जो आइस फेक्ट्री वह भी छोटी--मोटी नहीं, फिर भी उन्होंने लाइसेन्स नहीं लिया है। प्रोसिक्शन का मामला तो बहुत दूर चल कर आवेगा। आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह-शाम कानूनों को तोड़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि प्रोसिक्युशन नहीं होगा--क्योंकि उनमें गुंजाइश यह रखी गई है कि सरकार से आज्ञा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकर फिर प्रोसिक्युशन हो सकता है। सरकार के लिये आज्ञा देना बहुत बड़ा काम हो गया है। वह आज्ञा मिलती नहीं। वह आज्ञा कहीं जा कर ३ या ४ महिनों के बाद मिलेगी, तब तक सारी गवाहियें टेम्पर करली जाती हैं और इसके कानून की जो मंशा है पूरी नहीं हो पाती और कानून द्वारा प्रोसिक्युशन करने पर वह प्रोसीक्युशन कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन मेरा जो विरोध है उसका एक और कारण है और वह यह है कि सरकार ने यह कह कर कि सरकार आज्ञा दे तब प्रोसीक्युटर होगा आम लोगों के अधिकार भी छीन लिये हैं जो पीनल कोड और विधान में लोगों को मिले हुए हैं। मेरे माननीय मित्रों को यह तो मालूम ही होगा और अगर नहीं है तो अब मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्टेट एज़ ए प्रोसीक्युटर (State as a prosecutor) कोग्नीजेबल ओफेन्स को ओटोमेटिकल्ली इन्वेस्टीगेट करके मुकदमा न चलाए तो वह खुद मुकदमा चला सकता है। इसके अलावा एक और अधिकार है और वह यह कि यदि किसी व्यक्ति को नुकसान हो तो वह व्यक्ति कम्पलेन्ट कर सकता है चाहे स्टेट उसे ठीक समझे या नहीं, स्टेट अगर उसका चालान करे या नहीं। अगर कोई आदमी समझे कि उसको नुकसान हो रहा है या हुआ है तो इसके लिये उसको मौका होना चाहिये इस्तगासा करने और मुकदमा चलाने का। इस धारा ४० को यहां पर रखने से प्राइवेट इस्तगासा करने की कोई गुंजायश नहीं होगी। नतीजा यह होगा कि छोटी मोटी घटनाएँ तो यों ही होती हैं उनके लिये सैकड़ों मीलों से चल कर मुकदमा चलाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये कोई नहीं आयगा और इसका तात्पर्य यह होगा कि सरकार प्रोसिक्युशन को डिसकरेज करना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि दरअसल प्रोसिक्युशन को डिस्करेज किया जाना चाहिये। नये नये कायदे-कानून जो बिल में होते हैं किसानों को समझ में नहीं आवेगें इसलिये मुकदमा नहीं करना चाहिये। मगर मैं यह कहूंगा कि हम यह क्यों मान कर चलें कि जो प्रोसीक्युशन होगा वह अन्धे लोगों के सामने होगा। अगर मामूली जुर्म है तो उसके लिये मामूली गलती को देखते हुए वारनिंग देकर छोड़ दिया जावे और अगर जुर्म ज्यादा है तो उसको सजा दी जावे। यह आगे चल कर किस प्रकार का केस लॉ बन जावेगा। मगर जब कानून बन जाता है तो उसको अमल में लाना है या नहीं, यह एक देखने की बात है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि आम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है और नुकसान को देखते हुए मुकदमा करने का अधिकार है या नहीं। मैं यह कहूंगा कि क्लॉज़ ४० को जोड़ कर यह जनता का अधिकार भी छीन लिया गया है। नतीजा यह होगा कि इसके इस कानून के बन जाने से कोर्ट में जाकर Directive Principles of Staae Policy अमल में लाने में कठिनाई होगी इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जयनारायण व्यास(मुख्य मन्त्री)अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं है कि इसको संशोधन भी समझा जा सकता है। माननीय भैरोसिंहजी ने यह भय जाहिर किया है कि यह जो क्लॉज़ ४० है वह यदि अधूरा रहा तो शायद किसी पर कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा और सरकार ने अपने हाथ में चूंकि सत्ता ले ली है इसलिए सैक्रेटेरियेट में वायर पुलिंग (Wirepulling) हो जायगा और मामला खटाई में पड़ जायगा। पहले तो फिर मैं दुबारा दोहराना चाहता हूं कि बावजूद श्री हरिकृष्ण के यह कहना कि उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने नहीं पढ़ा, इसका जवाब तो मैं पीछे दूंगा, यह क्लॉज अच्छी

[श्री जयनारायण व्यास]

तरह से पढ़ा नहीं गया है। क्लॉज़ ४० में लिखा गया है कि "No prosecution under this Act shall be instituted except by or with the previous sanction of the officer specially en powered by the State Government in this behalf" सेक्रेटेरियट तक जाने की जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेन्ट किसी अफसर का अधिकार देगी और वह एक बाहैसियत अफसर को यह अधिकार देगी कि वह मुकदमा चला सकता है या उसकी इजाजत से दूसरा चला सकता है। सेक्रेटेरियट में भेजने के लिये आपने जो संशोधन किया वह फिजूल किया और जिन्होंने इसका समर्थन करने का कष्ट किया वह भी बेहूदा किया। इसके लिये बाहैसियत बाअधिकार प्राप्त अफसर होगा और उनको अधिकार दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस्तगासा नहीं हो सकेगा।

श्री जयनारायण व्यास—उसका जवाब में बाद में दूंगा-और जो अज्ञान है उस पर ज्ञान कि रोशनी डालने की कोशिश करूँगा।

दूसरी बात श्री हिम्मतसिंहजी ने कही कि यह तो अपने अफसरों में अविश्वास करने की बात हुई। अफसरों में विश्वास और अविश्वास करने की बात नहीं होती। जब किसी नये कानून को जारी करते हैं, तो छोटे से छोटा अफसर चाहे वह पुलिस का कान्स्टेबल ही क्यों न हो या चाहे वह कस्टम का अधिकारी हो या चाहे कोई भी हो, यदि वह यह कह दे कि तुम्हारा तोल कम है और वह इस्तगासा पेश कर दे या थानेदार पेश कर दे तो उससे गलत इस्तगासा पेश हो सकता है और उसके साथ हेरासमेंट (harrasment) हो सकता है और जैसी कि बजट सेशन में आमतौर पर शिकायत होती है कि करप्शन है, और यहां एक बजट सेशन के लिए मिसाल मिल जाती है। सरकार सारे अधिकारियों में विश्वास करती है सिवाय उनके कि जो बेईमानी करते हैं, उनमें से वे चाहे छोटे अधिकारी हों या बड़े अधिकारी, उनमें सरकार का विश्वास है और जिनमें सरकार का विश्वास नहीं है उनको सरकार हटा देगी। ऐसे अधिकारी को अधिकार देना मैं समझता हूँ कि बड़े कामों को टालना है। यहां तो छोटे २ मुकदमें चलेंगे; जैसा कि मैंने पहले कहा और फालतू खाते में लोगों को बेजा परेशानी होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास ने ३२ और ३३ क्लाज़ का हवाला देकर कहा कि मैंने पढ़ा नहीं है। ३२ और ३३ पर बात नहीं चली थी किन्तु ३४ पर चली थी। ३४ में सजा दी गई है। ३२-३३ की बात करना इर्रिलेवेन्ट (निरर्थक) है और मैं समझता हूँ कि बजाय ३३ के पढ़े ३४ को पढ़ लें तो प्लेइंग टू दी गेलेरी (playing to the gallary) होगा। फेफड़ों पर व्यायाम किया जा सकता है कि ये दोनों बातें अलग-अलग हैं और अलग-अलग ही समझी जांय और अगर मैं उन्हीं की बुद्धि के अनुसार ३४ के अन्दर ३३ की सोचता हूँ तो आप मेरी बुद्धि को कैसा सराहेंगे, यह हाउस के देखने की बात है। एक बात यह कही कि यह तो यहां पड़ा रहेगा कोतल घोड़े की तरह। लेकिन हर एक घोड़े को नचाने की बात नहीं है। हर एक वक्त हर घोड़े को नचाना और उसका डिमोन्स्ट्रेशन करना हमारे साम्यवादी भाई का कार्य है और उनको ही यह शोभा देता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास — इन घोड़ों का डिमोन्स्ट्रेशन तो आदमियों का डिमोन्स्ट्रेशन है और उधर से घोड़ों का डिमोन्स्ट्रेशन ता कोतल घोड़ों का डिमोन्स्ट्रेशन है।

श्री जयनारायण व्यास-ठीक है, इधर के कोतल घोड़े हो सकते हैं और उनका डिमोन्स्ट्रेशन हो सकता है और उधर के आदमियों का डिमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, किन्तु इधर से दुलत्तियां नहीं झाड़ी जाती हैं। दुलत्तियां तो उधर के आदमियो की ओर से झाड़ी जाती हैं। हमारी इन्सानियत हो सकती है दुलत्तियों का वार तो उधर से ही आयगा।

फैक्ट्री के लाइसेन्सेज़ की बातें कहीं। उन्होंने जिनाबिलजब्र और डकैतियों की बातें नहीं कहीं। तो ये बिल्कुल नामाकूल बातें हैं और सब्जेक्ट से ताअल्लुक नहीं रखती हैं। ये बातें आदमियों के डिमोन्स्ट्रेशन में है। उसका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्यों कि इसका इस विषय से ताअल्लुक नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वह तो एक मिसाल दी गई थी।

श्री जयनारायण व्यास—अब एक बात यह कही गई है कि जनता के जो अधिकार हैं वे छीन लिए गये हैं। मेरे भाई को थोड़ा सोचना चाहिए। यह विशेष कानून है और इसको सरकार विशेष रूप से लगाना चाहती है। जनता के अधिकार छीनने की बात ही पैदा नहीं होती और न ही जनता के अधिकार छीनना सरकार चाहती है और न इसकी आवश्यकता ही है। इसके लिए तो उनको ठेका दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इंडियन पीनल कोड की धारा २६४, धारा २६५, धारा २६६ और धारा २६७; इन चार धाराओं को आप पढ़ लें। उनके अनुसार और भी ज्यादा सजा हो सकती है। लेकिन सरकार अपनी ओर से इसको रेगुलेट करने में जितनी कार्यवाही करना चाहती है उतनी ही करेगी और जिस मकसद से इस कानून को बनाया गया है उसको आप मद्देनजर रखेंगे। हम फिजूल की बातें नहीं रखना चाहते और फिजूल की बातें रखने की बेवकूफी को सरकार पसन्द भी नहीं करेगी। आई. पी. सी. में सजा का प्रोविजन है और जब उस कानून में ये बातें हैं तो क्यों "दाल भात में मूसलचन्द" बना जाय; यदि उन धाराओं की खिलाफवर्जी होती है, किसी अदालत के अन्दर केस दायर हो सकता है, सजा मिल सकती है। किन्तु यदि किसी न किसी तरह से खोट (त्रुटि) निकालनी है और इस बात का विरोध किया जाना है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए और खुद को सोच लेना चाहिए केवल उनका विरोध टेक्निकल है और विरोध केवल विरोध के लिए ही है तो उनको हटा लेना चाहिए और इस धारा को एक मत से पास करना चाहिए। यही मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से सदन को निवेदन करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक मुझे महज इतना ख्याल था कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी जो इस कानून को पायोलेट कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई लीगल नोलेज (ज्ञान) नहीं है, लेकिन अब तक मेरा ख्याल यह भी था कि लीगल नोलेज के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी माननीय मुख्य मन्त्री जी की है; किन्तु आज वह ख्याल भी दूर हुआ और उस वक्त दूर हुआ जब कि मुख्य मन्त्री ने अपने शब्दों में यह स्वीकार किया कि जितने राजस्थान के मुलाजिम हैं उन पर, कुछ ऐसे व्यक्तियों को छोड़ कर जो बेईमान हैं, विश्वास किया जाता है। मुझे खेद है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो मूल सिद्धान्त हैं......

श्री अध्यक्ष—असंगत मत होइये।

श्री भैरोंसिंह—मैंने जवाब दिया है वह असंगत नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जवाब दिया था वह असंगत था और इसलिए भी मेरा जवाब असंगत समझ लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—There can be no end to this.

श्री भैरूँसिंह—उन्होंने यह फरमाया कि सरकारी मुलाजिमों पर, कुछ बेईमानों को छोड़ कर विश्वास है। यह एडमिनिस्ट्रेशन के मूल सिद्धान्त के विपरीत है। यदि किसी व्यक्ति का एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग लेते हैं तो पहला सिद्धान्त यह होना चाहिये कि उस पर विश्वास करें। यदि कोई अभाव मालूम होता है तो सरकारी कर्मचारी के नाते मिलकर काम करावें। आपने कहा कि बेइमानों को छोड़कर बाकी अधिकारियों में आपका विश्वास है तो इसका मतलब यह है कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य मन्त्रीजी के शब्दों के अनुसार बेईमानों की भी भरमार है और यह बात यदि नहीं होती तो एक बात पर छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी पर इस प्रकार अविश्वास नहीं होता। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने फरमाया कि सरकार जिस आदमी को अधिकार देगी वह बाहैसियत होगा, वह सेक्रेटेरियेट के बाहर का होगा। सेक्रेटेरियेट के लिए हमें आशा है कि जो आदमी काम करते हैं वे बाहैसियत हैं, बा अधिकार हैं और उनमें से किसी को अधिकार दिया जा सकता है। किसी सेक्रेटरी को नियुक्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्रेटेरियेट में भय और संकट की आपने स्वीकृति दी, यह कह कर कि यह सेक्रेटेरियेट से सम्बन्ध नहीं रखता है, किसी दूसरे आदमी से सम्बन्ध रखता है और सेक्रेटेरियेट के आदमी बा हैसियत बा अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के लिए इस प्रकार का कहना किसी प्रकार शोभनीय नहीं हो सकता।

यह बात कही गई कि छोटे-छोटे मुकदमें बनेंगे। तो छोटे छोटे मुकदमों के सम्बन्ध में प्रोवीजन हो सकता है और माइनर एडल्ट्रेशन हो सकता है जिसको गवर्नमेंट पूरा कर सकती है। यह दलील भी दी गई कि छोटी-मोटी गलतियों और लिटिगेशन से बचने के लिए इस प्रकार का प्रोवीजन रखना भी जरूरी है। इसके लिए एक सेक्शन पैदा करना जिसके अनुसार उनका प्रोसिक्युशन ठीक नहीं हो सकता, उचित नहीं है।

मैं समझता हूँ कि न्याय की दृष्टि से, व्यावहारिकता की दृष्टि से या सामाजिक सुधार की दृष्टि से क्राइम्स करने वाले को सजा देनी है तो उनके लिए सरकारी कर्मचारी के लिए इस प्रकार की छूट होनी चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी उस आदमी का प्रोसिक्युशन करवाए। इस बिल में उन लोगों को रिलीफ मिले, इस प्रकार का कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को माननीय मन्त्री स्वीकार कर लें ताकि इस प्रकार के क्राइम्स करने वालों का प्रोसिक्युशन हो और इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा न हो सके। अगर वे मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं करते हैं तो इस क्लॉज को भी स्वीकार न करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

Page No.35

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 40 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 40 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 41 (विराम) The question is that Clause 41 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 41 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 42.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १९)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ४२ इस प्रकार है :—

" **Protection to persons acting in good faith:**—

No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act, or the rules made thereunder."

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक जितने भी इस प्रकार के कानून बने हैं, इस प्रकार के कानूनों में हमने गवर्नमेंट सरवेन्टस को सेफगार्ड करने के लिए इस प्रकार का प्रोवीजन रखना आवश्यक समझा है। इस विधान सभा द्वारा जितने भी कानून पारित हुए हैं उनमें एक भी कानून ऐसा नहीं है जिनमें इस प्रकार गवर्नमेंट सरवेन्ट को सेफगार्ड न किया हो। अगर कोई इस कानून की अवहेलना करने वाले को सजा दिलवाए, अगर किसी के मकान की तलाशी ले, किसी के कागजात को जब्त करे या अन्य किसी प्रकार की सामग्री एकत्रित करता हैं किसी व्यक्ति के प्रोसीक्युशन के लिए तो कानून में इस प्रकार की धारा रखी जाती है, सरकारी कर्मचारी के सेफगार्ड के लिए। किन्तु इस क्लॉज में मैं देखता हूं कि इसमें गवर्नमेंट सरवेन्ट की जगह एनी परसन लिखा गया है, इससे मुझे और शंका पैदा होती है। जब से यह कानून बना है और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री का भाषण सुना है उस वक्त से लेकर अब तक मेरी यह धारणा बनी हुई है कि सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है और उस पर लेजिस्लेचर की मोहर लगवाना चाहती है और सारे के सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहती है और उन अधिकारों का उपभोग इस कानून की आड़ में करना चाहती है। विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की आशंका प्रगट की थी कि इस कानून के अमल करने में कई प्रकार की अड़चनें पैदा हो सकती है। उसमें एक प्रकार की और अड़चन पैदा

[श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)]

करने के तरीके का हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने जिक्र किया कि कोई भी आदमी जिसने गुड फेथ (सद्भावना) से कोई भी गलती की हो तो उसके विरुद्ध न मुकदमा हो सकता है न उसका प्रोसिक्युशन हो सकता है। चाहिए तो यह था कि "Any person" की जगह "Any Government servant" होता। इस "Any person" से यह मतलब हो गया कि आज तक तो सरकारी मुलाजिम की सेफगार्ड के लिए इस प्रकार का प्रोवीजन रखा जाता था किन्तु अब उसकी सीमा बढ़ते-बढ़ते "Any person" तक हो गई है। उसमें हर व्यक्ति को सेफगार्ड करने का अधिकार रख दिया गया है......

"against **Any person** for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act......"

इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर गुड फेथ (सद्भावना) से इस प्रकार की गलती करता है तो उसको इस क्लॉज के जरिए मुक्ति मिल सकती है। अभी अभी एक माननीय मित्र ने बताया था कि यह बात उस व्यक्ति की नीयत पर आधारित रहती है जिन लोगों को इस कानून के मुवाफिक सजा मिलेगी उसमें उनकी नीयत देखी जायगी, यह उनकी नीयत पर मुनस्सर होगा। अगर उसकी नीयत अच्छी होगी तो वह इस प्रकार से कम तोलने या कम वज़न के बाट रखने का कार्य कभी नहीं करेगा। जो कुछ भी सजा मिलेगी वह तो उसकी बदनीयती की मिलेगी, क्लॉज ४२ के मातहत; जो भी व्यक्ति बदनीयती से काम लेकर कम तोलता है, कम तोल के वेटस रखता है तो उसको सजा मिलेगी। तो इस प्रकार हमारे सामने नीयत का सवाल नहीं। लेकिन इस क्लॉज़ के जरिये यह साफ है कि अगर कोई अच्छी नीयत से तोलने-जोखने का काम करेगा तो वह सजा का मुस्तहक नहीं होगा। कम तोलने या कम देने का संबंध अच्छी नीयत से कभी नहीं। जब किसी व्यक्ति की बदनीयत होगी तभी तो वह कम तोलेगा या कम देगा या कम तोल के वेटस एण्ड मेजर्स रखेगा, जिन व्यक्तियों की बेईमानी की मन्शा होगी वही तो कम तोल या कम तोल के वेटस एन्ड मेज़र्स रखेगा। तो, इस क्लॉज की तहत उन व्यक्तियों का प्रोसीक्युशन नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रोसीक्युशन के लिए इजाजत लेने में दिक्कत आयगी। उन लोगों के इन्टेन्शन को देखा जायगा कि उनका इन्टेन्शन कम तोलने में क्या था, उसने गुड इन्टेन्शन से तोला है या बैड इन्टेन्शन से; इस बात की जाँच की जायगी। यह तो मानी हुई बात है कि कम तोलने में कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति का गुड इन्टेन्शन नहीं हो सकता। अगर सरकार की यही मन्शा है, गवर्नमेंट को सेफगार्ड करना है क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ में उनके सामने कई प्रकार की अड़चनें आ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार राइटस के सेफगार्ड करने का जहाँ तक सवाल है वे राइटस अवश्य सेफगार्ड होने चाहिए, अगर इस प्रकार गवर्नमेंट सरवेन्ट के राइटस को सेफगार्ड करने को मन्शा है तो मेरे संशोधन को मान लेने से वह मन्शा पूरी हो जाती है और उसमें किसी प्रकार की दुर्भावना पैदा होने का अन्देशा भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि शब्द "Any person" की जगह शब्द "Any Government servant" रख दिए जाँय।

श्री जयनारायण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो सलाह दी गई है वह मैं मानने के लिए

[श्री जयनारायण व्यास]

असमर्थ हूँ। दरअसल कई बातें जो आप कहते हैं वे बातें अलग हैं। इस क्लॉज़ की जहाँ तक मन्शा है वह मन्शा यह है कि किसी की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट की नीयत खराब नहीं हुई और किसी प्रकार की एनोमोली (anomoly) हो गई तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसको तो आप मानेंगे। कोई पब्लिक का आदमी है और वह किसी व्यक्ति को किसी समय माल तोल रहा है और उस वक्त यदि सरकार का इन्स्पेक्टर आता है और उसकी दुकान का इन्स्पेक्शन करता है तो उस वक्त वह यदि किसी आदमी को साथ लेता है, जिस आदमी की किसी भी प्रकार की गलती या बदनीयत नहीं हो तो उसकी तो रक्षा होनी चाहिए। कई वेट्स कारखाने में गलत निकल आए, पचासों वेटस गलत बनकर निकल आए और उस व्यक्ति ने उन वेटस से उस ग्राहक को माल तोल दिया तो वह तो बेचारा उससे अनभिज्ञ था कि यह कम है या ज्यादा; अगर उसकी सद्भावना पर हम सजा देना चाहें तो यह कदापि ठीक नहीं हो सकता। यह क्लॉज़ इसीलिए रखा गया है, इस खयाल से रखा गया है कि उसकी नीयत उसमें क्या थी; उसने यह कार्य किस नीयत से किया उसकी नीयत को देखकर सजा दी जायगी। यह तो कभी नहीं होना चाहिए, किसी की सद्भावना की सजा उसको मिले। यह मामूली सी बात है जिसका भी माननीय सदस्य ने विरोध किया है।

श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)—माननीय अध्यक्ष, मुख्य मन्त्री के भाषण को सुनने के बाद मुझे एक और शंका हो गई और वह यह कि लीगल नोलेज से अनभिज्ञ होने के साथ-साथ मुख्य मन्त्रीजी में जनरल नोलेज का अभाव मालूम देता है......

श्री अध्यक्ष—Why personal things ? Give a reply.

श्री भैरोंसिंह—I am giving a reply.

श्री जयनारायण व्यास--The gentleman has nothing but personal things.

श्री भैरोंसिंह—No, they are not personal. They are said for the Chief Minister.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sometimes they are started from that side.

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री भैरोंसिंह—(अपने भाषण को जारी रखते हुए) अगर इस प्रकार की बातें मुख्य मन्त्री को मालूम होती तो वे अवश्य कहते कि जितने भी क्राइम्स की सजा दी जाती है उसमें यह देखा जाता है कि क्राइम्स करने वाले का इन्टेन्शन क्या था ? कोर्ट के सामने जब दलीलें दी जाती हैं, अगर

Page No.38

[श्री भैरोंसिंह]

उसमें यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि क्राइम्स करने वाले का इन्टेन्शन बुरा नहीं था तो कोर्ट उसको सजा नहीं देता है। कोर्ट के सारे के सारे फैसले, प्रोसीक्युशन का सारा का सारा दारोमदार इस चीज पर मुनस्सर होता है कि किस इन्टेन्शन में उसने इस प्रकार की हरकतें कीं। अगर बैड इन्टेन्शन से उसने हरकतें की तो उसको उसी प्रकार की सजा होनी चाहिये। गुड इन्टेन्शन से करने वाले को माफी भी हो सकती है।

दूसरी बात यह बताई कि गवर्नमेंट सर्वेन्टस की बात मन्जूर की है वह इस आधार पर मैंने मन्जूर की है कि अब तक जितने भी कानून बने हैं उनमें जहाँ तक छोटी-बड़ी सजा देने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है वहाँ साथ-साथ यह भी जरूरी समझा है कि गवर्नमेंट सर्वेन्टस के राइटस को सेफगार्ड किया जावे। इसलिए हमें यह करना चाहिए कि इस सिद्धान्त को जहाँ तक सीमित रखा जाय, हम रखें और इस तरह आज तक जितने भी कानून बने हैं महज गवर्नमेंट सर्वेन्टस के लिए अवोइड किया गया है उनको सेफगार्ड किया गया है; पर अगर इस कानून के जरिये पब्लिक को भी सेफगार्ड करने की सरकार की मन्शा है तो यह जनता के भले की बात नहीं है। आपकी चूंकि यहाँ पर मेजोरिटी है, इसलिए बहुमत के आधार पर आप चाहें तो अपनी यह मन्शा पूरी कर लें। यह आपकी मन्शा पूरी हो भी जावेगी, पर मुझे तो विश्वास है कि इस प्रकार के कानून से जनता की किसी प्रकार भी कभी भलाई नहीं होने वाली है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ४३ एवं ४४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४३ एवं ४४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ४३ एवं ४४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ४५, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४५ की तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस कानून की तहत जो भी रूल्स जरूरी समझें उनको बनावे और चूंकि किसी भी कानून की तहत हर प्रकार की डिटेल्स उस कानून के अन्दर होती नहीं, उसके अन्दर ही समावेश किया नहीं जा सकता इसलिए सरकार को आमतौर से यह अधिकार दिया जाता है। लेकिन यह रूल्स बनाने का जो अधिकार सरकार को दिया जाता है उसके साथ-साथ और भी कई बातों का खयाल किया जाता है और उन अधिकारों को एक हद तक सीमित किया जाता है।

यहाँ पर धारा ४५ की तहत इस प्रकार का अधिकार दिया गया है और इस धारा की उप धारा (२) में उन्हें रूल्स की तहत, किन-किन रूल्स की तहत सजा दी जावेगी वह अधिकार भी सरकार को दिया गया है। तो, इस क्लॉज की उपधारा (२) में जैसा कि इस वक्त यह मौजूद है, जैसे :—

"Such rules may provide that any person committing the breach of all or any of the same shall on conviction be punishable with fine which may extend to two hundred rupees."

तो कौन कौन से रूल्स ऐसे होंगे कि जिनकी तहत २००) रुपये तक का जुर्माना सजा के रूप में किया जा सकेगा। यह अधिकार सरकार के पास में रखा है। यह प्रश्न वास्तव में एक सैद्धान्तिक प्रश्न है और यह वाकई में एक मौलिक वकत रखता है। हम जब इस राजस्थान असेम्बली में आते हैं तो एक विशेष रूप लेकर आते हैं और एक विशेष सिद्धान्त की तहत अपने संविधान की तहत में आते हैं और जो अब तक प्रणाली रही है राज्य करने की, कानून बनाने की उसके खिलाफ हमने एक कदम आगे बढ़ाया है और इसकी तहत में हम सब इस लेजिस्लेचर में इकट्ठे होते हैं और जो अपने प्रान्त के हित की बात होती है उसे कानून के तहत में करते हैं। किन्तु अब जब कानून के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यह तय करते हैं कि कौनसी चीज हम जनता के लिए हितकर मानते हैं और कौनसी गलत मानते हैं और कौनसी गलती के लिए कितनी सजा देनी चाहिये इसको तय करने के लिए यहां जब हम इकट्ठे होते हैं और जब एक सैद्धान्तिक रूप से हम यह मानते हैं तो इसके आगे किसी भी कानून की अवहेलना करने वाले के लिए कितनी सजा देनी चाहिए और कौनसी गलती के लिए एक विशेष सजा देनी चाहिए, चाहे वह फिर दो सौ रुपए की सजा हो या उससे कम की हो, यह तय करने का अधिकार इस सदन का होना चाहिए। यह अधिकार सरकार को नहीं दिया जना चाहिए। इस सिद्धान्त के पीछे हमको यह खयाल करना पड़ेगा आज कि हमें ऐसा

[श्री जवानसिंह]

अधिकार सरकार को देना चाहिये अथवा नहीं।

मैं इस वक्त खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि हम सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार केवल इसलिए देते हैं कि इस कानून को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो डिटेल होती है उसे कानून में समावेश नहीं किया जा सकता है, जो आम तौर से कानून बनाने के पश्चात् इसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए, उसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो इस प्रकार की डिटेल बाद में सरकार के सामने आती है तो उन डिटेल्स की चीजों को पहले से तय नहीं कर सकते। इन सब चीजों को तय करने के लिए बाद में सरकार को मौका देना पड़ता है। तो इस अधिकार को ठीक तरह से चलाया जा सके, कि किस हद तक सरकार के पास अधिकार रहे, क्योंकि राज्य चलाने का काम जो है वह उसका है। इससे अधिक अधिकारों का दुरुपयोग न हो, इसकी एक सीमित व्यवस्था हमें करनी है और इसके लिए भी मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इस अधिकार को एक सीमा तक ही सरकार को देना है और यह सजा देने का काम जो है उसे सरकार के हाथ में नहीं देना है। यह काम केवल असेम्बली का होना चाहिये।

वैसे तो डेलिगेशन ऑफ पॉवर्स (delegation of powers) वैसे ही विवादास्पद विषय है और इसकी तहत में जब सजा देने का काम होता है तो वह सरकार को दिया जाता है; तो जनता के अहित का और उसके उत्पीड़न का खतरा खास तौर से पैदा हो जाता है, तो ऐसा विशेषाधिकार कम से कम सरकार को नहीं देना चाहिये। वैसे रूल्स बनाने का अधिकार भी जहाँ तक हो वह भी बहुत ही सीमित मात्रा में, जहाँ पर ऐसा मामला हो कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, वहीं देना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस सीमा को मानते हैं। खास-खास मोटी-मोटी बातें जब इस कानून की तहत में हम तय करते हैं तो फिर यह सवाल सजा देने का तो हमारे सामने आना ही चाहिये कि किस कानून की अवहेलना किए जाने पर इनके तहत में इस किस्म की खिलाफवर्जी करने के लिए दो सौ या इससे कम जुर्माना होना चाहिये। पर जब यह न होकर सरकार स्वयं रूल्स बनाने के समय जुर्माना या सजा भी तय करती हो तो यह एक बहुत ही विषम समस्या हो जाती है। इसलिए सजा देने का जो हक है वह कम से कम सरकार को नहीं दिया जाना चाहिये। सजा तय करना सदन के अधिकार का विषय है। गवर्नमेंट को कम से कम यह नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस सदन से और अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इन सरकारी सदस्यों से खासकर कि इस क्लॉज को स्वीकार न किया जावे और इसको डिलीट अवश्य किया जावे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, इस विषय पर मुझे बोलना आवश्यक प्रतीत नहीं होता था और जो यह कानून सदन के सामने आया तो कई सेक्शन्स इसके यहाँ पेश किये गये हैं उनको देखकर मुझे भी ताज्जुब तो हो रहा था लेकिन सिवाय ताज्जुब करने के और करने को नहीं था, क्योंकि बहुमत सरकार के साथ है।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

मैं यह कहूँगा कि यह जो प्रणाली हम इस सदन के सामने आज रख रहे हैं यह भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। माननीय मेरे मित्र श्री जवानसिंहजी ने जो फरमाया इसका समर्थन करते हुए मैं यह कहूँगा कि क्लॉज़ ४५ के साथ सब क्लॉज़ (२) को जब मैंने देखा तो बहुत ही अचम्भा हुआ क्योंकि क्या मेरे परम मित्र माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह आशा करते हैं कि उनकी सरकार पर जनता और जनता के प्रतिनिधि जो इस पक्ष में बैठे हैं, इतना विश्वास उनपर कर सकते हैं कि उनको रूल मेकिंग पावर्स (rule making powers) के साथ-साथ सजा देने की भी पॉवर दे सकते हैं ? सजा देने के पॉवर्स सिर्फ इस सदन को ही है और अगर हम रूल मेकिंग पॉवर्स के मातहत हमारी सरकार को ऐसे सजा देने के पॉवर्स भी दे दें तो जहाँ अक्सर हमारे देखने में आता है कि जहाँ उनको पॉवर्स नहीं हैं वहाँ पर भी कितनी ज्यादतियाँ जनता के साथ की जाती हैं, कानूनी और गैर कानूनी रूप में तो जहाँ पर एक कानून के तावे उनको पॉवर्स दे दिये जावेंगे तो यह हम लोगों के ख्याल में नहीं आ सकता कि हमारी सरकार किस हद्द तक जनता के साथ कितनी ज्यादतियाँ कर सकती है।

इस इनेक्टमेंट के तावे ४-५ और दूसरे आब्जेक्शनेबल सेक्शन्स पास कर दिये गये हैं जो कि जनता के लिए बहुत अहितकर होंगे। क्लॉज़ ४५ की यह सब क्लॉज़ (२) के तावे अगर यह बढ़ा दिया जावगा तो राजस्थान की जनता के लिए यह बहुत ही अहितकर कदम समझा जायगा।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४५ की सब क्लॉज (२) के डिलीशन के बारे में अभी संयुक्त दल के नेता व एक अन्य माननीय सदस्य के विचार सुने। उन विचारों से अपनी सहमति प्रकट करते हुए एक और बात सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, जहाँ तक मैं समझ पाया हूं वहाँ तक इस सब क्लॉज़ की मन्शा यह है कि अब तक जो कानून बनाये हैं उस कानून में जो इस एक्ट में प्रोविज़न्स हैं वह रूल्स के दायरे के बाहर की चीज है। उनका कोई कॉन्ट्रावेन्शन करता है तो उसको सजा दी जाती है। रूल्स का कान्ट्रा-वेन्शन करता है तो उसको भी सजा दी जाय, इस बात का प्रोविजन इसमें नहीं था, इसलिए रूल्स के लिए सरकार यह अधिकार ले रही है कि किसी भी रूल की अवहेलना होने पर उसको २००) रु० तक की सजा दी। लेकिन क्लॉज़ ३८ को ध्यान से पढ़ा जाय तो उसमें यह अधिकार सरकार ने पहले ही प्राप्त कर लिया है जैसा कि ' Whoever contravenes any other provisions of this Act or the rules" यानी रूल्स का भी यदि कोई कान्ट्राविन्शन करता है तो क्लॉज़ ३८ के मातहत उतनी ही सजा मिलेगी "which may extend to two hundred rupees" रूल्स के कॉन्ट्रावेन्शन पर सजा दिलाने की जो सरकार की मन्शा है वह मन्शा क्लॉज़ ३८ के पास होने पर पूरी हो जाती है। इस मन्शा के आधार पर क्लॉज़ ४५ का सब क्लॉज़ (२) रखा गया है, लेकिन क्लॉज़ ३८ से सरकार की मन्शा पूरी हो गई। यह मन्शा पूरी होने के बाद यह सब क्लॉज़ (२) अपने आप सुपरफ्लुअस (superfluous) होता है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि अगर उनकी यह मन्शा है तो वह अपनी मन्शा क्लॉज़ ३८ के जरिये पूरी करें और इस प्रकार के सुपरफ्लुअस क्लॉज़ को

[श्री भैरूँसिह]

कानून के अन्दर एडजस्ट नहीं करें। इसके कई गलत इन्टरप्रिटेशन हो सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह बात अवश्य आयेगी। सरकार की मन्शा यह है कि रूल्स के कॉन्ट्राविन्शन (Contravention) पर सजा दी जाय, वह मन्शा पूरी हो गई और इस मन्शा के पूरी होने के बावजूद यह मन्शा स्पष्ट है। इस क्लॉज़ को हटा दें और रूल्स के जरिये लेजिस्लेटिव पॉवर्स सरकार अपने पास रखना चाहती है। वह इस प्रकार के रूल्स कायम करेगी कि कोई व्यक्ति अमुक काम करेगा तो उसको २००) रु० की सजा मिलेगी। लेजिस्लेटिव पॉवर्स इस प्रकार से हासिल करेंगे बहुमत के आधार पर तो वह एक नाजायज हरकत होगी। मैं प्रार्थना करूंगा हाउस से कि वह इस प्रकार की परम्परा को कायम नहीं होने देगा कि जिस परम्परा के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में महज एक बहुमत के आधार पर सरकार चाहे जो अधिकार अपने पास ले सकती है। ऐसा होने पर लेजिस्लेटिव असेम्बली एक प्रकार का ढोंग है। वह इस प्रकार का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। अगर इसके विपरीत अच्छे वातावरण का निर्माण करना है तो वह इस सब क्लॉज़ (२) को इससे हटा दें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, वक्ता महोदय जो अभी बोले हैं कम से कम उनके भाषणों से इतना तो मुझे मालूम हुआ कि वे दो बातों में फर्क मालूम कर रहे हैं। एक तो यह है कि इस कानून में जिन बातों को जुर्म बताया गया है उन जुर्मों की सजा दिलाई जाय और दूसरा इस कानून के मातहत कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर बन रहे हैं। उन रूल्स आफ प्रोसीजर के कॉन्ट्राविन्शन करने पर उसको सजा दी जाय। रूल्स के मातहत कोई गलती करे तो उसकी सजा २००) रु० रखी गई और बाकी की भी रखी गई है।

मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी ने बहुत जोरों से कहा कि सरकार बहुमत के आधार पर यह लादती है। मैं समझता हूँ कि वह महज कहने के लिए कहा गया है। बहुमत में होते हुए भी सरकार अल्पमत का काफी ध्यान रखती है और वह स्वयं जानते हैं कि कल ही एक कानून इसलिए वापिस लिया गया है। एक बिल में अल्पमत के लोग यह चाहते थे कि इसको मत लो। हम बराबर उनका खयाल रखते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि रूल्स में गलती करते हैं तो उनका भी खयाल रखना चाहिए।

मुझे ताज्जुब तो नहीं होना चाहिए श्री भैरूँसिहजी के एतराज पर, लेकिन फिर भी ताज्जुब हुआ क्योंकि वह एक तरफ तो इतनी सी गलती कर देने पर उनको शारीरिक सजा दिलाने को तैयार थे, लेकिन रूल्स के आधार पर गलती हो जाय तो शारीरिक नहीं २००) रु० की सजा भी दिलाने को तैयार नहीं है। यह एक अजीब बात मालूम होती है। वह अजीब बात उनकी मुश्किल है कि जिन्हें मेरी कॉमनसेन्स (Common sense) में विश्वास नहीं, लीगल नोलेज में विश्वास नहीं, और न वे मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे तो उनकी सभी बातों में विश्वास करना

[श्री जयनारायण व्यास]

चाहिए, और खास तौर से लीडर ऑफ दी अपोजिशन की भावना का मुझे आदर करना है, इसलिए इस सेक्शन को वापिस लेता हूँ।

(विरोधी दल की ओर से "हियर, हियर")

श्री अध्यक्ष—The question is that :

"Clause 45 minus sub-clause (2) stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 45 without sub-clase (2) is added to the Bill.

(विराम)

The question is that sub-clause (2) of clause 45 be allowed to be withdrawn.

(स्वीकृत)

Sub-clause (2) of Clause 45 is allowed to be withdrawn.

श्री जयनारायण व्यास—I withdraw sub-clause (2) of clause 45.

श्री अध्यक्ष—Clause 46, Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के क्लॉज़ ४६ में जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट को सम्पूर्णतया लागू किया गया है यह ख्याल में नहीं रखा गया है। जब कि उसकी प्रत्येक प्रोवीजन इसमें लागू कर दी गई है तो फिर क्या कारण है कि क्लॉज़ ४६ के सब सेक्शन (२) में सेक्शन्स ६, ८ और २४ आफ जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट को फिर दुबारा लागू क्यों किया जाय? मेरा संशोधन है कि यह विशेष तौर से क्लॉज़ ४६ की सब क्लॉज़ में यह जो है इसको डिलीट कर दिया जाय। इसका अर्थ यह है कि जब क्लॉज़ ४ में जनरल क्लॉज़ेज एक्ट को पूरे को लागू किया है तो फिर यहाँ दुबारा ६, ८, २४ को काटकर अलग नहीं रखें। इसलिए फिर इस स्थान पर इसको दुबारा लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको हटा देना चाहिए।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, Sub-clause (1) of Clause 46 is as follows :—

Page No.44

[श्री श्रीदास गोयल]

"(1) On this Act coming into force all Acts, Ordinances, Circulars, Notifications and Orders of the Covenanting States, dealing with matters covered by this Act, shall stand repealed."

यह जो 'ऑल एक्ट्स' है इसमें उससे मुझे यह शक होता है कि यह म्युनिसिपल एक्ट्स की जो प्रोवीजन्स हैं या विलेज पंचायतों की पेरेलल प्रोवीजन्स हैं, क्या वह भी इल्लीगल मानी जाँय। अगर यह मन्शा नहीं है तो यह प्रोवीजन साफ हो जाय तो अच्छा रहे।

श्री जयनारायण व्यास—The amendment relates to the General Clauses Act.

श्री अध्यक्ष—That is the Central Act. "To such repeal the provisions of the...."

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह दूसरा जो है वह तो सेक्शन ४ में अप्लाई किया गया है।

"Provisions of the General Clauses Act, 1897 of the Central Legislature shall mutatis mutandis apply to this Act in the same manner as they apply to a Central Act."

यह तो जनरल एप्लीकेशन है और यह जो सब क्लॉज़ (२) है........

"To such repeal the provisions of sections 6, 8 and 24 of the General Clauses Act, 1897 (No. X of 1897) of the Central Legislature shall mutatis mutandis apply."

So this only relates to repeal and not to the Act as a whole.

और क्लॉज़ ४ है वह दूसरी तरफ का है।

श्री अध्यक्ष (श्री तनसिंह से)—You press the amendment?

श्री तनसिंह—I beg leave to withdraw it.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Leave has been granted.

Page No.45

श्री तनसिह—Sir, I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 46 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 46 is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 2 and 1. Preamble and Title be added to the Bill.

(बाधा)

I am sorry. Clause 2 has been taken out. There is no clause 2. The question is that Clause 1 containing title. extent and commencement and the Preamble stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title, extent and Commencement and the Preamble are added to the Bill.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I move that the Bill be passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—An amendment has been made, Sir, that no motion for passing a Bill would be taken on the same day under rule 46 (2).

श्री अध्यक्ष—No such amendment which wants that it is so complicated. A copy should be furnished.

(विराम)

The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १६५४ (प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष—Shri Kumbha Ram Arya.

श्री कुम्भाराम आर्य—महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मेडिकल एक्ट, १९५२ में संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह अमेन्डिंग बिल हमने देखा और जो ओब्जेक्टस एंड रीज़न्स का स्टेटमेंट (statement of objects and reasons) है उसको भी पढ़ा। जो बाधाएं बताई गई हैं, जहां तक मैंने देखा मेरी समझ में नहीं आया कि कहां कांट्राडिक्शन होता है। मैं निवेदन करूंगा कि ओरिजिनल एक्ट में कहां कॉंट्राडिक्शन होता है और किन-किन सेक्शन्स में होता है, यह बताया जाय। दूसरी बात यह है कि जो तात्पर्य एमेंडमेंट का बताया जाता है कि "hereinafter referred to as the said Act, the following sub-section shall be and be deemed always to have been substituted, namely......" तो इसके माने यह होंगे कि जो सन् ५२ में एक्ट पास किया गया था उसका अमेन्डमेंट सन् ५४ में करने जा रहे हैं और इस नये अमेन्डमेंट से यह समझा जायगा कि यह अमेन्डेड बिल २ साल पहले से लागू समझा जायगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कांस्टीटयुशन के कौन से आर्टिकल के ताबे ऐसा किया जा सकता है, माननीय मन्त्रीजी कृपा करके यह बतलावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे एक मोशन मूव करना है। यदि वे प्रिलिमिनरी (preliminary) बात करें तो मुझे एतराज नहीं है, नहीं तो मैं इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री कुंभाराम से)—आपको क्या कहना है ?

श्री कुंभाराम आर्य—यह छोटी सी बात है और मैं समझता हूँ कि कोई भी सदस्य ऐसे नहीं होंगे, सिवाय माननीय सदस्य के जो सबसे पहले बोले थे। उनके सिवाय कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझता हो। कमेटी को रेफर करना इसमें और भी देरी करना है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्रीजी का कर्तव्य यही रह जाता है या सरकारी मन्त्रियों का कर्त्तव्य यही रह जाता है कि किसी पोइन्ट को साफ करने के लिये निवेदन किया जाए उसका इस तरह से जवाब दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। ऐसा करने में मेरी जो मन्शा है उसको मैं साफ कर देता हूँ। यह अमेन्डिग बिल है तो बहुत छोटा है जैसा कि माननीय मन्त्री कहते हैं। यह बहुत मामूली चीज है लेकिन वास्तव में यह वैसी मामूली चीज नहीं है। एक कठिनाई जरूर आई है और उसे हल करना चाहिये, ऐसा हम लोग भी महसूस करते हैं और वह कठिनाई यह है कि मेडिकल बोर्ड को कॉंस्टीटयूट करने के लिये इलेक्शन करने हों तो रजिस्टर्ड लोग ही मतदाता हो सकते हैं या खड़े हो सकते हैं; ऐसा प्रोविजन है, लेकिन जब तक पहले बोर्ड कॉंस्टीटयूट नहीं हो तब तक राजस्थान में काम शुरू नहीं किया जा सकता।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक्ट बनाते समय गलती जरूर रह गई और अब उसे दूर करना आवश्यक है, इस उसूल को मैं मानता हूँ और इसी वजह से कहता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय। लेकिन गलती को दुरुस्त करने के लिये ऐसी विचित्र बात की गई है जो शायद ही किसी लेजिस्लेचर में आज तक हुई हो। इस बिल की क्लॉज़ २, जो ओरिजिनल एक्ट की सेक्शन १ को अमेंड करती है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि आप ओरिजिनल राजस्थान मेडिकल एक्ट, १६५२ की sub-section (3) of section १पर गौर फरमायें तो उस में दर्ज है कि: "This Act shall come into force on the date on which it is published in the Rajasthan Raj Patra;"

और वह एक्ट बनाने के बाद राजपत्र में छप गया तो कानून के तौर पर वह लागू हो गया। अब इस अमेंडमेन्ट के जरिये यह दर्ज कराया जा रहा है कि "It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajasthan Gazette appoint in this behalf, etc., etc."

यदि सेक्शन १ के सब सेक्शन (३) के बजाय अमेन्डेड सब सेक्शन ३ रख दिया जाय तो 'it shall be deemed to have been substituted;' जब से एक्ट पास हुआ तब से रख दिया जाय, तो मतलब यह होगा कि अमेंडिंग बिल पास होने के बाद जब नोटिफाई करेंगे तब यह एक्ट लागू होगा।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस सेक्शन के द्वारा अमेंडमेंट जो किया जा रहा है वह करीब-करीब ऐसा है कि राजस्थान मेडिकल (अमेंडमेंट) एक्ट, १६५२ जो कि सन् १६५२ में लागू हो गया, अब यह कहा जा रहा है कि:

"It shall be deemed not to have come into force on that date.'

बहुत ही ताज्जुब वाला प्रोविजन है यह कि यह एक एक्ट १६५२ में लागू हो गया और अब यह राजस्थान की विधान सभा यह कह रही है कि नहीं होवे। जैसे प्रोसिडिंग्सज़ में से कुछ रिमार्क्स एक्सपन्ज कर दिये जाते हैं, उसी तरह कहा जाता है कि लागू होने से एक्पंसज कर दिया जाय। यह कैसे हो सकता है ? जो एक्ट लागू है उसे हम इस तरह एक्सपन्ज नहीं कर सकते। अगर अल्टावायर्स हो तो जनरल क्लॉज़ेज एक्ट के माफिक कौन्सीक्वेन्सेज़ (Consequences) होते रहेंगे। न रिपील (repeal) किया गया, न वोइड (void) किया गया; बल्कि इसे (expunge) कर दिया जाय। मेरे माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह कितनी साफ बात है: वे चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं तो जानता हूँ कि यह कितनी साफ है। फिर भी जैसा कि वे कहते हैं, अगर यह साफ है तो इसका मतलब यह है कि धारा २ जो इस बिल की है वह न सिर्फ एब्सर्ड (absurd) है बल्कि वह नाजायज भी है, क्यों कि जो कानून लागू हो चुका उसको अब विथ रिटोस्पेक्टिव इफेक्ट (पूर्व प्रभाव) से एन्फोर्स (enforce) में नहीं रहेगा, ऐसा निर्णय देने के अधिकार संविधान सभाओं द्वारा भी आज तक काम में नहीं लिया गया है। तो इस वजह से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इस पर फिर से पूरा गौर करना चाहिये। यदि भद्दी किसी की लगेगी, और हंसी अगर उड़ेगी तो सारी विधान सभा की उड़ेगी; केवल उधर बैठे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हुए जो कानून जानने वाले साहबान हैं वे मेरी इमदाद करें, नहीं तो ज्यादा भद्दी उनकी लगेगी कि कानून जानते हुए गैरकानूनी काम किया यह हुई एक बात।

दूसरी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें कुछ एग्जेम्पशन्स (exemptions) रखे हैं, धारा २६, ३० और ३१ के बारे में, लेकिन वे रिडन्डेन्ट (redundant) हैं। ओरिजिनल एक्ट को देखा जाय तो ये तीनों सेक्शन्स गजट में शाया हुए तभी से लागू हुए। गजट में शाया हुए हैं तो फिर उन्हें लागू करना कोई जरूरी नहीं है।

इसलिये मेरा यह संशोधन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, जो मुमकिन है हमें कानून की पेचीदगियों से बचा ले।

इतना ही निवेदन करना है मुझे, उपाध्यक्ष महोदय।

कु० श्री जसवन्तसिंह— At least the Ex-Medical Minister will clear the position.

श्री मथुरादास माथुर—I take the responsibility of the original draft of the Medical Bill, 1952. But so far as this Amendment is concerned, Sir, the point raised by my friend from Jodhpur is really worth consideration and is a very legal and technical point on which I beg to say that the Government will get it examined by the Law Department again before we consider it here. Prima facie it appears that the point which has been stressed strongly, appears to be correct. (करतल ध्वनि) But in fact as it is a technical matter it would be better if it could be sent back to the Law Department for obtaining technical views. If the Advocate General would have been here we would have liked to hear him. I, therefore, request that the Advocate General be called to enlighten and his authority in this matter be considered as final. I humbly submit that the consideration of this section be postponed till the Advocate General is called and we listen to him:

(कु० श्री जसवन्तसिंह के खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir——

कु०. श्री जसवन्तसिंह—I am holding the floor please.

श्री उपाध्यक्ष—(श्री जसवंतसिंह को संकेत करते हुए) आप बोलिये।

Page No.49

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष मैं आप से यही निवेदन करूं कि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सी विधान सभाओं और विधान सभाओं की दादी, पड़ दादी विलायत संविधान सभा है उसकी भी कार्यवाही सुनने का अवसर मिला है, पर मुझे आज बहुत बड़ा ताज्जुब यह हुआ कि मैं तो यह समझे हुए था कि जो मन्त्री बिल को पायलेट करते हैं वे कीड़ी (चींटी) की खाल तक निकालने के लिये तैयार हो कर आते हैं, परन्तु मुझे अफसोस है कि हाउस में एक साधारण सवाल, हमारे मन्त्री महोदय से पूछा गया उसका उत्तर देने में वे कहाँ तक कामयाब हुए, यह इस हाउस से छिपा नहीं और मेरे मित्र, पुराने मेडिकल मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने इसके बारे में जवाब दिया। मेरे मित्र के शब्दों में इतना छोटा सा जो मामला है उसके बारे में बेचारे एडवोकेट जनरल को सदन में बुला कर तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा हो कि एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाने के बजाय इस बिल को सैलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order sir, मेरे माननीय मित्र शायद गलत फहमी में रह गये हैं कि मेरा संशोधन क्लाज २ को हम कन्सीडर नहीं करें, यह है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार "A motion hasbeen made that the Bill be taken into consideration to which motion, an amendment has been moved that the Bill be referred to a Select Committee". The sense of such postponement of the consideration of Bill is that the Member who has piloted the Bill seeks permission of the House to withdraw and put it in an amended form.

लेकिन इससे बहतर तरीका यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय, जिसमें एडवोकेट जनरल भी रहें और लॉ सेक्रेटरी भी रहें।

श्री भोलानाथ—श्री मथुरादासजी के कहने की मंशा यह

श्री हरिकृष्ण व्यास—मथुरादासजी खुद बोल सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—मैं भी अर्ज कर सकता हूँ। मेरा तो इम्प्रेशन था।
ght that the...

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मथुरादासजी को शायद किसी की मदद की जरूरत नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—I need your help at least. I was not in the House and I must be excused for this. I thought that the Hon' ble Members are considering clause 2. I am very thankful to the friend who has rightly said so. Any way the Hon' ble Minister will agree that a Select Committee be formed and one week' s time be given. we will take it again. This is my humble suggestion.

श्री कुंभाराम आर्य—मैं अपने सदस्य महोदय की शंकाओं का आदर करता हूं और उनकी इच्छाओं के अनुसार इसे सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय; बल्कि इस आशा के साथ कि यह जल्दी से जल्दी लौटे।

श्री जवानसिंह—इतने आसान और सीधे से मामले को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है। (हंसी)

श्री मथुरादास माथुर—It is a legal matter. On facts it is very simple but technically it is different. We are accepting your wishes also.

श्री उपाध्यक्ष—आप अमेंडमेंट लिख कर दें, नाम कौन कौन से होंगे यह भी लिख दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो मेरा प्रस्ताव है, मैं ही लिखूँगा।

(निस्तब्धता)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास—ने उपस्थित किया है और माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया है उसकी अनुमति दी जावे। क्या इसमें हाउस की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

(विराम)

यह प्रवर समिति के सुपर्द किया जाता है और इसके सदस्य कौन कौन होंगे उसकी सूची तैयार करके बाद में पेश कर दें।

(विराम)

अब दूसरे कार्य को ले सकते हैं। श्री भोलानाथ।

राजस्थान कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ (खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री भोलानाथ—I beg to move that the Bill to amend the Rajasthan Agricultural Income-tax Act, 1953, be taken into consideration.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved प्रश्न यह है कि यह विचारार्थ लिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न पूछने से पहले इस पर जनरल डिसकशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—Yes

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, अधिनियम में संशोधन करने को विचारार्थ लेने के प्रस्ताव का मैं विरोध करना चाहता हूं। एक नई प्रथा राजस्थान की विधान सभा में शुरू हो रही है ऐसा महसूस होने लगा है और वह यह कि स्टेटमेंट और ओबजेक्टस और, रीज़न्स आज जो किसी कानून की मंशा को प्रदर्शित करने के लिये होते हैं और उसी ढंग से लिखे जाने चाहिये लेकिन आजकल हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्टस और रीज़न्स इस मंशा से लिखे जाते हैं कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कानून की असली मंशाः का पता नहीं चले अगर आप इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस और रीजन्स को देखेंगे तो इसमें आपको यह लिखा हुआ मिलेगाः

"The Bill seeks to amend the definition of "agricultural income" given in the Principal Act so as to bring it in conformity with the definition thereof in the Constitution of India and the Income-Tax Act, 1922."

मैंने माननीय उपाध्यक्ष, कांस्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया को परसों से काफी गौर से पढ़ा और चार दूसरे लोगों से पढ़वाया और कहा कि एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स की कॉन्टीट्युशन ऑफ इन्डिया में क्या परिभाषा दी गई है, यह मालूम करें। ढूंढा तो कॉन्स्टिटयुशन ऑफ इन्डिया में एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स की कोई परिभाषा नहीं मिली। टैक्स में कई प्रोविजन खिलाफ में जाते हैं। "to bring the definition of agricultural income in conformity with the Constitution of India" इसकी डेफिनेशन "with the definition thereof in the Constitution of India में तो नहीं जानता। मेरे माननीय मन्त्रीजी जिन्होंने यह रखा है यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के कौनसे हिस्से में एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स की परिभाषा की हुई है और वह परिभाषा किस प्रकार से लागू की जा रही है। इसके अलावा जो नई बातें जोड़ी गई हैं इस बिल में उसमें आप यह पावेंगे कि जो नाम जोड़े गए हैं वे भी मतलब से जोड़े गए हैं। इसकी असली मन्शा जो है वह यह है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की परिभाषा में इस प्रकार का परिवर्तन किया जावे जिससे दरअसल उन लोगों को लाभ हो जिन पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगना चाहिए और कुछ अर्से के लिए वे लोग इस टैक्स से बरी हो जावें। खास ओरिजिनल एक्ट की धारा २ और उसके भाग (१) जिसको संशोधन करने की मन्शा है उसमें परिभाषा यह दी गई है:
"Agricultural income" means—any rent or revenue derived from land which is used for agricultural purposes: "

अब उसके बाद संशोधन यह किया जा रहा है: " after the words 'agricultural purposes' add the words:—

"and is either assessed to land-revenue in the taxable territories or subject to a local rate assessed and collected by officers of the Government as such."

इसका मतलब यह होगा कि अगर कहीं रेन्ट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ :'which is derieved from or on account of land which is used for agricultural purposes.' तो वह केवल इतना ही होने से एग्रीकल्चर इन्कम का देने वाला नहीं हो सकता। वह रेन्ट होना चाहिए। "which is detived from or on account of land which is used for agricultural purposes;"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Either it should be assessed to land-revenue or is subject to a local rate.

अपने यहां की व्यावहारिक स्थिति को अगर हम लें तो आपको विदित होगा कि एग्रीकल्चर इनकम टेक्स एक्ट कुछ अर्से पहले पास हो चुका है। जिस दिन यह पास हुआ उससे प्रीवियस वर्ष पहले से लागू होना चाहिये था मगर बजाय लागू होने के अब क्या कोशिश हो रही है? आजकल हो यह रहा है कि बड़े-बड़े जागीरदार और दूसरे जमीन के मालिक ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो जमीन अभी तक रेन्टेड है उसके लिये भी कहा जा रहा है कि it has not been assessed to land revenue यह नोट एसेसेबल है और एग्रीकल्चर लेन्ड काबिल इनकम टेक्स के नहीं है agricultural land has also not been assessed for land revenue इसका मतलब यह होगा कि ऐसी लेन्ड है which has not been assessed to land revenue उससे अगर रेन्ट रीएलाइज होता है तो that will not be treated as treated as agricultural income that वह जमीन एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स में आ जाती है।

अपने जिस प्रदेश में आया हूं वहाँ कहावतें कहने की आदत है और मैंने भी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से थोड़ा-सा सीख लिया है। इस एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स की ऐसी परिभाषा की जा रही है कि जहाँ असली टेक्स जिस पर लगाना चाहिए उसके एक्सक्लूड किया जा रहा है हमारे यहाँ कहावत है। "दो इस घटे दो उस घटे और तीन घटे है पाया, बिचलो भाबा भोल घटे- ओ माचो ले रे भाया।" इसी तरह से आप कर रहे हैं। आप उसी तरह से लेन्ड रेवेन्यू वसूल करने जा रहे हैं। मगर जहाँ लेन्ड को ही आप गायब कर रहे हैं और कर देंगे फिर आप लेन्ड रेवेन्यू कैसे वसूल करेंगे? जब लेन्ड ही नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर टेक्स कैसा? इसमें आप कॉंस्टीट्युशन ऑफ इन्डिया को भी साथ लेना चाहते हैं। इसका उसमें लेना-देना क्या है? हमारे तो समझ में नहीं आया, मगर उन लोगों के समझ में तो आया होगा जिन्होंने इससे रखा है।

यदि आप फिर एमेंडमेंट पर गौर फरमावेंगे तो आपको मालुम होगा कि कुछ अर्से के लिये जब तक जागीरदारी रिजम्प्शन आदि लागू न हो जावे उसके बाद तक भी जागीरदार आदि पर इस प्रकार का टेक्स न पड़े, यही मैं समझता हूँ कि इसकी मंशा है। इसका ताल्लुक कॉंस्टीट्युशन ऑफ इन्डिया से कुछ नहीं है और न इन्कम टेक्स से ही। हो सकता है किसी दूसरी चीज से इसका आधार हो और उसी वजह से यह प्रस्ताव पेश किया गया है।

मैं इसका विरोध करता हूँ और यह प्रस्ताव करता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको नापास किया जावे और माननीय मन्त्रीजी ने जो यह एमेंडमेंट रखा है उसको ना मंजूर किया जावे।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश किया गया है और जो उसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स पर थोड़ा एतराज किया गया है उससे मालूम ऐसा होता है

[श्री भोलानाथ]

कि सिर्फ कॉस्टीट्यूशन की एक धारा जो हमारे एग्रीकल्चर इनकम टेक्स बिल में है उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है और शायद इस बात की कोशिश की गई है कि यह जाहिर किया जाय कि जो बिल लाया गया है वह प्रगतिशील नहीं है और जागीरदारों को प्रोटेक्शन देने के लिए है और इसके अनुसार कानून की दृष्टि से गलती है, भाषा की गलती है और उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो हमारा एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स बिल हाउस के सामने आया है उसकी परिभाषायें बिलकुल साफ हैं; फिर भी कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि एग्रीकल्चर इनकम टेक्स की डेफिनिशन कॉस्टीट्यूशन में दे दी गई है, उसके अनुसार करदी जावेगी तो ठीक होगा, इसीलिए यह बिल है। श्री हरिकृष्ण व्यास ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि कॉस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ३६६ में कुछ डेफिनिशन्स दी हुई हैं। एग्रीकल्चर इनकम की भी डेफिनिशन दी हुई है और वह यह है कि,"Agricultural income' means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian Income-tax." चूंकि कॉस्टीट्यूशन में बहुत बड़े २ विद्वानों की, संविधान सभा में बड़े २ विशेषज्ञ थे, जो कि कानून और कायदों को समझने वाले थे; राय लेकर इस क्लॉज को फोर्मुलेट किया गया है; अतः राजस्थान गवर्नमेंट ने भी यह जरूरी समझा कि जिस डेफिनेशन का हवाला कांस्टिट्यूशन में आया है यदि उसी प्रकार की डेफिनिशन इस बिल में भी रख दी जाय तो कोई बुराई की बात नहीं होगी। एग्रीकल्चर इनकम टेक्स की डेफिनिशन का हवाला इनकम टेक्स एक्ट में भी आया है। वह यह है, "Section 2:-'agricultural income' means any rent or revenue derived from land which is used for agricultural purposes and is either assessed to land-revenue in the taxable territories or subject to a loc l rate assessed and collected by officers of the Government as such."

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप इनकम टेक्स एक्ट पढ़ रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—कांस्टिट्यूशन की ओर जाना आप भूल गये। मैं आपको यह बतला रहा था। कांस्टिट्यूशन के अनुच्छेद ३६६ में एग्रीकल्चर टेक्स के बारे में डेफिनिशन इस प्रकार की गई है:-

"Agricultural income' means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian Income-tax."

इसलिए जो कांस्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर इनकम टेक्स के बारे में जैसी परिभाषा इस्तेमाल की गई है वैसी इनकम टेक्स एक्ट में की गई है। वही हम इस एग्रीकल्चर इनकम टेक्स बिल में सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं और इसी से किसी को प्रोटेक्ट करने का या किसी को विशेष रियायतें देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए कहना चाहता हूँ कि यह केवल रेन्ट असेस करने वाला नहीं है। आपने ओरिजिनल बिल में देखा होगा कि इसके सेक्शन 2 (1) (ii) (b)- में यह है कि "the performance by a cultivator or a receiver of rent or revenue" रेन्ट को भी एग्रीकल्चर इनकम टेक्स में लाया गया है। हमने उसको सबस्टीट्यूट नहीं किया है किन्तु उसमें

[श्री भोलानाथ]

सेक्शन २ (१) "any rent or revenue derived from land which is used for agriculture purposes;" है, उसके आगे जो लफ्ज रह गये उनको भी इनकम टेक्स एक्ट के मुताबिक जोड़ दिया है। इसलिए जैसा कि समझा जाता है कि यह बिल जागीरदारों को या किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, यह बात नहीं है और किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना है। अगर किसी को प्रोटेक्शन होना चाहिए तो भी कहीं कांस्टिट्यूशन का बहाना लेकर प्रोटेक्ट न हो जाय इसलिए इसको कांस्टिट्यूशन की धारा ३६६ के मुताबिक रखा है। इससे आपकी मंशा में और हमारी मंशा में काफी फर्क हो जाता है। हम तो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते किन्तु आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अतः इस संशोधन से यह मतलब लिया जाय की शाब्दिक बातों से या किसी तरह से यह कानून अल्ट्रावायर्स (ultra vires) न हो जावे। कांस्टीट्यूशन में जो इनकम टेक्स के लिए परिभाषा दी गई है वैसी ही हमने रखी है और ये वर्ड्स जोड़ दिये हैं। शंकाओं को दूर करने के लिए डेफीनिशन में काफी गुन्जाइश है। एक बर्डे एसेस्मेंट से ही आप न डरिये, एसेस तो होगा ही। अगर आप डेफिनिशन को देखने की कोशिश करेंगे जो कि एक पेज से ज्यादा है तो आपकी शंकाओं का समाधान हो जायगा। इनमें गुन्जाइश ऐसी नहीं रहती है कि जिससे टेक्स पे करने से बच जाय। अतः यह जो अमेंडमेंट बिल आया है आप उसका स्वागत कीजिये, उसकी तारीफ कीजिये और अपने अमेंडमेंट को वापिस लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—Now I put the amendment to vote.

(विराम)

The question is that the Rajasthan Agricultural Income-Tax (Amendment) Bill, 1954, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Motion is Carried.

(विराम)

Clause 2.

(विराम)

The question is that clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 1, Preamble and the title.

(विराम)

The question is that clause 1, preamble and the title stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, Preamble and the title are added to the Bill.

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

(विराम)

Next, Shri Ram Kishore Vyas.

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

(श्री वेदपाल त्यागी का प्रस्ताव)

श्री रामकिशोर व्यास (सभापति, विशेषाधिकार समिति)—Sir, I beg to move that as required under Rule 60 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, the Report of the Committee, on a

[श्री रामकिशोर व्यास]

question raised by Shri Vedpal Tyagi on the 12th March, 1954, be taken into consideration.

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस विषय में यह निवेदन करना है कि प्रिविलेज मोशन श्री वेदपालजी त्यागी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया था जिसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया। विशेषाधिकार समिति ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश की थी, उसको आज विचारार्थ लिये जाने की मेरी प्रार्थना है। इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि सदन के एक माननीय सदस्य श्री एच. के. व्यास बीकानेर किसी सिलसिले में गये थे, वहाँ उनको गिरफ्तार किया गया। यह ५ फरवरी, १९५४ का वाकया है। उसके बाद वहां उनको सजा हुई। उनके सजा होने की इत्तला यहां पर नहीं दी गई, उसी संबन्ध में यह प्रस्ताव यहां लाया गया। कमेटी ने उस पर पूर्ण रूप से विचार किया, मजिस्ट्रेट महोदय का एक्सप्लेनेशन लिया गया और उन्होंने इस विषय में अन कन्डीशनल अपोलोजी टेन्डर की है। उनका कहना है कि मेरी इसमें भूल हुई है, मुझे माफ किया जाय; आयन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। इस संबन्ध में कमेटी ने यह निर्णय किया कि यह ब्रीच आॅफ प्रिविलेज का पहला मौका है और जिस व्यक्ति द्वारा यह गलती हुई है उन्होंने अपनी गलती तसलीम कर ली है, लिहाजा उनको माफ कर दिया जाय और उनको आयन्दा के लिये चेतावनी देदी जाय, इस प्रकार जो कमेटी ने सिफारिश की है वह मैं सदन के सामने रखता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार करे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन के सामने पहला ही मौका है जब कि प्रिविलेज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। मैं इससे भी एक कदम आगे जाकर निवेदन करूं कि जब से इस सदन का निर्माण हुआ है जिसको करीब ढाई वर्ष का अर्सा ही हुआ है इस अर्से में यह पहला ही मौका है जब कि किसी माननीय सदस्य के प्रति प्रिविलेज का सवाल सदन के सामने आया हो। आज यह प्रसन्नता की बात है कि यह पहला प्रिविलेज मोशन अपोजीशन की तरफ से लाया गया है और इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी द्वारा सही माना गया है। किस प्रकार एक सरकारी अधिकारी ने गलती की, उसमें उस अधिकारी का कसूर पाया गया। यह गलती उसकी अनभिज्ञता से भी हो सकती है या सरकार को खुश करने की नीयत से भी हो सकती है या उनका झगड़ा हो सकता है या और किसी काम की वजह से उन्होंने यह कार्य किया। किन्तु जब कि उन्होंने अनक्वालिफाइड आपोलोजी मांग ली है तो सदन का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह उदार दिल होकर उनको क्षमा कर दें।

इस सदन के माननीय सदस्य श्री एच. के. व्यास ने अपना कर्तव्य समझ कर एक ऐसे हिस्से में, जो हिस्सा सरकार द्वारा कुचला जा रहा था, उस हिस्से की जनता को मदद देने के लिये वे वहां गये और जो हम उस हिस्से के एक अभाग्यशाली वासिन्दे हैं उस हिस्से के इनहैबीटेन्टस (निवासी) जो हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर हमारी आपत्ति में, जब कि हम सरकार की नीति से कुचले जा रहे थे, हमारे साथी श्री एच. के. व्यास हमें मदद देने के लिये

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

वहां आये। उस समय सरकार ने जिस क्रूरता का बर्ताव वहाँ के निवासियों के साथ किया उस वक्त हमारी मदद के लिए हमारे मित्र श्री एच. के. व्यास वहाँ आये और सरकार के चेलेन्ज को उन्होंने स्वीकार किया और अपने कर्तव्य को करते हुए उनको सजा भी दी गई। उन्होंने खुशी के साथ वह सजा भोगी। उन्होने अपना कर्तव्य समझ कर जो यह कार्य किया वह वास्तव में सराहनीय हैं। उनका हमेशा यही ध्येय रहता है कि जहां कहां की जनता दुखी हो या जिस किसी भी इलाके में सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा हो वहां वे जाते हैं, यह उनके मानव स्वभाव का परम कर्तव्य है, हम उनके इस कर्तव्य की सराहना करते हैं। मगर उस राज्य कर्मचारी ने एक बहुत बड़ा कुसूर किया है और उस कुसूर के मुतल्लिक इस सदन में प्रिविलेज कमेटी में रखने के लिए यह सवाल लाया गया। हर्ष की बात है कि हमारे मित्र, श्री रामकिशोर व्यास को अध्यक्षता में यह प्रिविलेज कमेटी इस निर्णय पर पहुँची कि इसमें उस कर्मचारी का कुसूर है। उन्होंने जब अनक्वालिफाइड अपोलोजी मांग ली है तो हमको भी विशाल हृदय रखकर उनको इस गलती को माफ कर देना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हिदायत जारी कर दी जाय कि इस सदन के जो सदस्य हैं वे सब जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करना एक बहुत बुरी बात है। अगर आयन्दा इस प्रकार की गलती हुई तो उनके साथ सख्ती के साथ व्यवहार होगा, इस प्रकार की हिदायतें कर दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि जो रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ पेश की गई है उसको सदन स्वीकार करे।

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि यह रिपोर्ट गजट में पब्लिश कर दी जायगी और हरेक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला दे दी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय श्री रामकिशोरजी व्यास ने जो प्रस्ताव रखा हैं उसमें मैं होल हार्टेडली असोसियेट (whole heartedly associate) करता हूँ। यह इस सदन के लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रिविलेज कमेटी ने इस सम्बन्ध में सही और न्यायपूर्ण रुख अख्त्यार किया। कमेटी ने यह भी मन्जूर किया है कि सदन की प्रिविलेजेज़ का हनन हुआ है और जिसने यह कार्य किया वह पनिशमेंट का भागीदार है, किन्तु यह पहला मौका है और कर्मचारी भी बहुत ऊंचे पद का नहीं है इसलिए हमें उदारता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्होंने अपोलोजी माँग ली है इसलिए उनको माफ कर देना चाहिये मेरा यह भी ख्याल है कि इस विषय में विन्डिक-टिव (vindictive) रुख नहीं होना चाहिए। जब कि उस कर्मचारी ने अनक्वालिफाइड अपोलोजी माँग ली हैं तो सदन को उदार हृदयता से उनको माफ कर देना चाहिये। आयन्दा के लिए उनको इस प्रकार हिदायता लेनी चाहिए। इस प्रकार की हिदायत को सर्कुलेट किया जाना चाहिए, इसके अलावा इस प्रकार की हिदायतें राजस्थान गजट में भी सर्कुलेट हों और उनको गजट में पब्लिश

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किया जाना चाहिए। इन तीनों चीजों का समावेश इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है जो कि पूरी तौर से समर्थन करने के काबिल है।

इसके साथ-साथ मैं एक छोटा सा सुझाव सदन के नेता को देना चाहता हूँ और वह यह कि प्रिविलेज कमेटी द्वारा जो सर्कुलर शाया हो, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं; उसके साथ-साथ एक छोटा सा सर्कुलर इस प्रकार का भी शाया कर दिया जावे जो टर्मीनोलोजी के बारे में ही पेज चार पर एक तार दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि एच. के. व्यास, एम. एल. ए. लेजिस्लेटिव असेम्बली और नीचे दस्तखत हैं सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस बीकानेर। बाद में इसके एक पत्र लिखा है जो इस प्रकार पढ़ा जाता है :—

"H. K. VYAS, M. L. A., Rajasthan Legislative Assembly.........Police Superintendent, Bikaner."

यह केवल पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा ही इस प्रकार लिखा गया हो, यह बात नहीं। इसके बाद का जो पत्र है वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा गया है, जिसमें मोड ऑफ एड्रेस इस प्रकार है:—

"टू दी स्पीकर, हाउस आफ दी लेजिस्लेचर,

राजस्थान।"

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीकानेर का भी पत्र है उसमें भी मोड ऑफ एड्रेस इस प्रकार है :—

"टू दी स्पीकर, हाउस ऑफ दी लेजिस्लेचर,

राजस्थान।"

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस टर्मिनोलोजी के बारे में और मोड ऑफ एड्रेस के बारे में थोड़ी सी हिदायत कर दी जाय तो ठीक होगा।

दूसरा सवाल अब यह है कि इस रिपोर्ट को मन्जूर किया जाय। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि मैं न केवल इससे होल हार्टेडली एसोसियेट करता हूँ किन्तु इसके लिए प्रिविलेज कमेटी बधाई की पात्र है कि इस प्रकार की रिपोर्ट से एक स्वस्थ परम्परा प्रिविलेज कमेटी ने सदन के सामने रखी है।

[श्री जयनारायण व्यास]

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—दी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेज़ की रिपोर्ट हमारे सामने है और जैसा कि कमेटी के अध्यक्ष ने बताया है यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़ का मामला अभी तक राजस्थान में या राजस्थान की असेम्बली में आया नहीं, इसलिए यह मामला पहला ही था और सरकार, कोई भी ऐसा मामला हो कि जिसमें किसी सरकारी अधिकारी की गलती हो गई हो, जानबूझ कर या अनजान में, तो वह उस गलती पर पर्दा डालने की कभी कोशिश नहीं करती। इसलिए जब कभी प्रिविलेज मोशन की बात हमारे सामने रखी गई हमने तुरन्त उसको स्वीकार कर लिया। यह एक बात है।

अब प्रीविलेज़ मोशन को और मेरिट ऑफ दी केस (merit of the case) को मेरे मित्र माननीय जसवन्तसिंह जी ने मिलाने की कोशिश की है। यह प्रिविलेज मोशन, जो रखा गया है वह बीकानेर में क्या अन्याय हुआ और क्या अत्याचार हुआ, इसके विरुद्ध नहीं रखा गया है बल्कि स्पीकर को सूचना भेजने की जो गलती की गई है उसके विरुद्ध रखा गया है। यह मेरे माननीय मित्र जानते हैं; पर जानते हुए भी उन्होंने इस मामले को उस तरफ घसीटने की कोशिश की और मैं यह भी कह सकता हूँ कि मिसगाइड (misguide) करने की भी कोशिश की है; इस मायने में कि यह प्रिविलेज मोशन स्पीकर को सूचना न देने की गलती की वजह से स्वीकार किया गया है, यह वे स्पष्ट जानते हैं।

रहा गिरफ्तारी का सवाल। गिरफ्तारियां कोई अन्यायपूर्वक नहीं थीं, बल्कि न्याय के अनुसार थीं, बिल्कुल सही कारणों से ये गिरफ्तारियाँ हुई थीं। इसमें कोई शक व शुबाह नहीं था। बल्कि वे लोग अन्याय पर थे जो गैरकानूनी आन्दोलन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि गैरकानूनी आन्दोलन चलाने में सहायता भी कर रहे थे, लुक-छिपकर या खुले रूप में और जब कभी जोखिम आती तो दायें-बायें हो जाते थे। तो ऐसी सूरत में मैं इसको अन्याय मानता हूँ। तो यह एक बात साफ होनी चाहिए कि यह प्रिविलेज मोशन ऐसी किसी अन्यायपूर्ण चीज या आन्दोलन की वजह से नहीं पैदा हुआ था। यह तो केवल एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से है। रिपोर्ट के पेराग्राफ तीन पर साफ बता दिया है। हमारी इस कमेटी के चेयरमेन ने यह मन्जूर कर लिया है कि उनसे गलती हुई है और मन्जूर करने के साथ-साथ यह भी बता दिया कि गलती किन हालतों में हुई है :

"I beg to submit that after the conviction of Shri H. K. Vyas, I remained very busy in the work of dealing with the riot situation in the City of Bikaner caused by the anti-export wheat agitation."

वह बिजी (busy) रह गये थे और दूसरे इस आन्दोलन सम्बन्धी कामों में और इस वजह से समय पर इत्तला नहीं दे सके, स्पीकर को। लेकिन वह भी मैं समझता हूं कि बिजी रहते हुए भी कोई गलती करता है तो हम सब को पता है कि हम कभी ऐसे अधिकारी को बचाना नहीं

[श्री जयनारायण व्यास]

चाहते। पर यह नई चीज है इसलिए कमेटी ने कृपा करके यह निर्णय दिया है कि चूंकि यह पहला मौका है उन्हें माफ कर दिया जावे और हिदायत के तौर पर उन्होंने कुछ कहा है। हमें वह सब स्वीकार है। साथ ही साथ कमेटी ने जो डाइरेक्शन दी है कि :

"A-circular be sent to all the Magistrates of Rajasthan calling upon them to intimate to the Speaker without delay the fact of the arrest, detention, conviction or sentence of a member of the Assembly, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form."

ये जो हिदायतें की गई हैं उनको हम मानेंगे। इन हिदायतों की थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही अधिकारियों को थीं और हम यह एक्सपेक्ट उनसे करते हैं कि वे उनका पालन करें, पर अब हम बाकायदा तफसील में एक हिदायत सब को और जारी कर देंगे।

फिर भी एक बात कुँ० श्री जसवन्तसिंहजी साहब को याद दिला दूँ कि उन्होंने जो यह फरमाया कि गिरफ्तार करने की गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की जावे, वह गैरकानूनी कार्यवाही हमने न पहले की और न आगे करेंगे; पर जो आगे गैरकानूनी कार्यवाही करेंगे उनको अवश्य गिरफ्तार किया जावेगा और इसकी सूचना बाकायदा यहाँ दी जावेगी।

मजिस्ट्रेट ने माफी मांग ली, इसलिए वे माफी के हकदार हैं और आइन्दा गलती नहीं होगी, इसके लिए आश्वासन देंगे और जो गलती करेंगे तो वह उसके परिणाम के भागीदार होंगे।

ऐसी स्थिति में यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली जावे, यह मैं सदन से प्रार्थना करूँगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--मैंने तो सजा के लिए और गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसके लिए धन्यवाद दिया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह सजा रहने की है इसके बारे में......

(अशान्त)

श्री जसवन्तसिंह—ओमिट किया गया इसके लिए कहा गया..."Unserved sentence was remitted by the Home,......

श्री जयनारायण व्यास--अच्छा।

Page No.61

श्री डा० मंगलसिंह—यह तो आफ्टर थोट after thought है।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the pleasure of the House that the Report be adopted ?

(राज्य पक्ष द्वारा "हाँ" कि आवाजें)

The report is adopted

श्री जयनारायण व्यास—विपक्ष की भी राय ले ली जावे साहब।

श्री उपाध्यक्ष——जो इसके विरोध में हों वे 'ना' कहें।

(कोई 'ना' की ध्वनि नहीं)

The report is adopted

राजस्थान चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १९५४

राजस्थान मैडिकल अमेन्डमेन्ट बिल को जो सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया है उस सिलेक्ट कमेटी के पर्सनल्स की सूची इस प्रकार है :

(१) सम्बन्धित मन्त्री, श्री कुम्भाराम आर्य।

(२) श्री एडवोकेट जनरल।

(३) श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

(४) श्री चन्दनमल वैद।

(५) श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(६) श्री मोतीलाल चौधरी।

(७) श्री सज्जनसिंह।

(८) श्री जवानसिंह।

(९) श्री वेदपाल त्यागी।

(१०) श्री भैरोंसिंह (१६)

Page No.62

[श्री उपाध्यक्ष]

(११) श्री रामनिवास मिर्धा ।

(विराम)

Does the House approve it ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आज की कार्यवाही हो गई है लिस्ट ऑफ बिज़नेस के अनुसार । सदन की कार्यवाही स्थगित करके कल सुबह ८ बजे फिर मिलेंगे ।

(सदन की कार्यवाही १० बज कर ५५ मिनिट पर कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२० जुलाई, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

Page No.63

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

1125. (114L.L.M.) Shri H.K. Vyas M.L.A., (*Div. No. 160*):—Will the Minister for Labour be pleased to answer:—

(*a*) Are labour laws applicable only to the Private Factories and not to Government run Factories ?

(*b*) Will the Government take steps for the application of all labourl aws to the Government run factories ?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

११२७.(३३२/सी.एम.) श्री लक्ष्मण हीरात, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८५—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील खेरवाड़ा, ग्राम टपणा (भीमपुर) में दिनांक ११ अप्रेल, सन् १९५४ को कपूरा नामक व्यक्ति ने कटेव निवासी एक व्यक्ति का खून किया ?

(ख) उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कहाँ और किस अस्पताल में हुआ तथा किस डाक्टर ने किया ?

(ग) इस मामले में पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां कीं ?

(घ) क्या यह सच है कि वहां के लोगों ने एस. पी. उदयपुर को भी सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

Page No.64

उत्तर

(क) नहीं। कटाव का सुवा मीना तारीख १२–४–५४ को अपने ससुर के घर बुखार के कारण मर गया।

(ख) यह कार्यवाही रिखबदेव अस्पताल में हुई थी। शव परीक्षा डाक्टर पुखराज द्वारा तारीख १३–४–५४ को की गई।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठाता।

(घ) मृत व्यक्ति के ससुर ने मरने की रिपोर्ट कल्याणपुर चौकी पर की थी। मरने का कारण ज्ञात न हो सकने के कारण संबंधित एस. एच. ओ. ने धारा १७४ के आधीन मरणान्वेषण रिपोर्ट तैयार की थी।

प्रश्न

११२८. (१६१/इ.एम.) श्री हंसराज जाटिया, एम.एल. ए, डिविजन नम्बर ५२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या धोलपुर सब डिविजन में कन्याओं की शिक्षा के लिये कोई गर्ल्स हाई स्कूल है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(ख) क्या बनाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न

११३२. (३३७/सी. एम.) श्री शिवदानसिंह एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४०—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि पेन्शन प्राप्त लोगों को पुनः सेवा पर लेने से कोई नये योग्य नौजवानों को आगे बढ़ने में और नौकरी मिलने में विलम्ब हो जाता है?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रेक्टिस को प्रोत्साहन नहीं देने का सोच रही है?

(ग) क्या यह सही है कि ये लोग पेंशन का समय नजदीक आने पर संबंधित अधिकारियों को अपनी भावी आवश्यकताओं को समझाने में कामयाब होकर आगे के लिये एक्सटेंशन करा ही लेते हैं ?

उत्तर

(क) यह ठीक है; किन्तु पेन्शन प्राप्त लोगों को केवल विशेष परिस्थितियों में तथा प्रशिक्षित व अनुभवशील व्यक्तियों के अनुपलब्ध होने पर ही जन-हितार्थ पुनः सेवा पर लिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

११३३ (३३८/ सी. एम.) श्री शिवदानसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४०—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार अपने प्रशासनिक व्यय में कमी करना चाह रही है ?

(ख) अगर हां, तो इसके लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

(ग) उपरोक्त खर्चा कब तक नोर्मल स्टेज पर आ जायगा ?

(घ) क्या सरकार ने अपने बढ़े-चढ़े शासनिक खर्चे को कभी भी मुकाबले के राज्यों से तुलना करके ऊंच नीच निकालने की कोशिश की है ?

(ङ) क्या राजस्थान की ऐसी कोई विशेष परिस्थिति है कि मुकाबले के राज्यों की तुलना में प्रशासनिक खर्चा विशेष करना अनिवार्य हो गया है ?

(च) अगर हां, तो वह विशेष परिस्थिति क्या है ?

उत्तर

(क) हां।

(ख) सरकार अपने प्रशासनिक व्यय में यथासम्भव कमी करने का प्रयत्न कर रही है। इस उद्देश्य से 'केबीनेट' की एक 'इकोनोमी कमेटी' भी बनाई गई है। बड़े बड़े विभागों जैसे पुलिस सायरात व आबकारी, वन, इत्यादि के व्यय आदि का Review करने के लिये विभागीय इकोनोमी कमेटीज भी बनाई गई है। कुछ विभागों में कमी कर दी गई।

(ग) इसका उत्तर 'नोर्मल' शब्द की व्याख्या पर निर्भर है। सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी भी विभाग पर उसकी आवश्यकता से अधिक व्यय न हो।

Page No.66

(घ) हां। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना मध्य प्रदेश तथा जन संख्या की दृष्टि से हैदराबाद राज्य से की जा सकती है। इस दृष्टि से जो प्रशासनिक व्यय हो रहा है वह जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिये गये खर्चे के आंकडों से प्रतीत होगा, अधिक नहीं कहा जासकता।

नाम सरकार	क्षेत्रफल	आबादी	(लाखों में)			
			१९५१-५२,	५२-५३,	५३-५४,	५४-५५
राजस्थान	१३०२०७	१५२९०७९७	५१७	५२५	५६४	५९५
मध्य प्रदेश	१३०२७२	२१२४७५२३	५०६	५२०	५५७	५८५
हैदराबाद	६२१६६	१८६५५१०६	६०१	६३२	५६३	५६

नोटः— यह अंक रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा किये गये तुलनात्मक अध्ययन से लिये गये हैं। इस अध्ययन में प्रशासनिक व्यय Expenditure on civil administration में Generel administration Adm. of Justice, Jails and convicts settlement, Police तथा misc. Depts शामिल है।

(ङ) राजस्थान का प्रशासनिक व्यय इसके क्षेत्रफल तथा अन्य विशेष परिस्थितियों को देखते हुये अधिक नहीं है।

राजस्थान की विशेष परिस्थितियां अनेक हैं उदाहरण के लिये;—

(१) आन्तरिक Law & order की परिस्थिति।

(२) सीमा राज्य होने के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति।

(३) वृहत क्षेत्रफल, यातायात की कठनाई आदि।

(४) विभिन्न रियासतों के एकीकरण के कारण नये तोर पर प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण।

प्रश्न

११३४. (१९८/इ. एम.) श्री हंसराज जटिया, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने प्राईवेट स्कूलों को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

(ख) धौलपुर के महिला विद्या मन्दिर को कितनी सहायता दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(ग) क्या यह सच है कि उदयपुर में ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है ? यदि दी जाती है तो क्यों ?

उत्तर

(क) राजस्थान में करीब साढ़े चार सौ प्राईवेट स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनको राज्य से प्रायः बीस लाख रूपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता मिलती है।

(ख) इस विद्या मन्दिर को कोई सहायता नहीं दी जाती क्योंकि न तो संस्था अब तक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है न नियमानुसार अब तक इस संस्था का सहायता के लिये आवेदन पत्र ही पेश हुआ है।

(ग) उदयपुर में कुछ संस्थाओं को ७५ प्रतिशत या इससे अधिक सहायता दी जाती है। बहुतसी संस्थाओं को इससे कम भी दी जाती है। सहायता की दर संस्था के कार्य क्षेत्र, कार्य विधि आदि को देख कर ग्रान्ट इन एड रूल्स के अनुसार निश्चित की जाती है।